सूचना का अधिकार अधिनियम

2005

उत्तराखण्ड शासन

मैनुअल संख्या 1 से 17

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

देहरादून–248001

अनुक्रमिणका

विषय	पृष्ठ संख्या
मैनुअल संख्या–1	1 से 42
मैनुअल संख्या–2	43 से 51
मैनुअल संख्या–3	52 से 54
मैनुअल संख्या–4	55 से 58
मैनुअल संख्या–5	59 से 66
मैनुअल संख्या–6	67 से 67
मैनुअल संख्या–7	68 से 68
मैनुअल संख्या–8	69 से 70
मैनुअल संख्या–9	71 से 71
मैनुअल संख्या–10	72 से 75
मैनुअल संख्या–11	76 से 77
मैनुअल संख्या–12	78 से 94
मैनुअल संख्या–13	95 से 95
मैनुअल संख्या–14	96 से 96
मैनुअल संख्या–15	97 से 97
मैनुअल संख्या–16	98 से 98
मैनुअल संख्या–17	99 से 99

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–1

प्रस्तावनाः

उत्तराखण्ड राज्य अपनी भौगोलिक एवं पारस्थितिकीय संरचना के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील है। इस तथ्य को दृष्टि मे रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के गठन के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की स्थापना की गयी। यह मंत्रालय आपदाओं के प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए प्रदेश सरकार की कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

आपदा प्रबन्धन को व्यवहारिक बनाने के लिए आपदा प्रबन्धन तंत्र इस प्रकार विकसित किया गया कि आपदा प्रबन्धन में राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं जनसामान्य की स्पष्ट भागीदारी निश्चित् हो सकी है।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53, वर्ष 2005) की धारा 14 की उप धारा (2) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ''उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' की स्थापना की गयी है, जिसकी संरचना निम्नानुसार हैः–

1. मा0 मुख्यमन्त्री – अध्यक्ष (पदेन)
2. मा0 आपदा प्रबन्धन मन्त्री – उपाध्यक्ष
3. मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री – सदस्य
4. मा0 पेयजल एवं सिंचाई मन्त्री – सदस्य
5. मा0 परिवहन मन्त्री – सदस्य
6. मा0 ग्राम्य विकास मन्त्री – सदस्य
7. राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव) – सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन)
8. प्रमुख सचिव (वित्त) – सदस्य
9. प्रमुख सचिव (आपदा प्रबन्धन) – सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53, वर्ष 2005) की धारा 25 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है, जिसकी संरचना निम्नानुसार हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष

2. जिला पंचायत अध्यक्ष – सहअध्यक्ष
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
4. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
5. प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट– सदस्य/मुख्य अधिशासी अधिकारी
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0) – सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमन्त्री होंगे और यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंन्त्रित किया जा सकेगाः–

1. जिला पूर्ति अधिकारी
2. परिवहन विभाग के नियत प्रभारी अधिकारी
3. अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग)
4. अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें

उक्त के अतिरिक्त राज्य में घटित होने वाली आपदाओं की स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान व सम्बन्धित विभागों व प्रतिवादन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के मध्य समन्वयन के लिए राज्य आपताकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) की स्थापना प्राधिकरण के नियन्त्राणाधीन की गयी है।

1– संगठन की विशेषतायें, कृत्य एवं कर्तव्यः

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 18 व 19)

1. राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का प्रतिपादन (formulation)
2. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का अनुमोदन (approval)
3. विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन
4. राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों को सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश
5. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन (implementation)
6. न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी (preparedness) उपायों हेतु वित्तीय संसाधनों की संस्तुति
7. आपदा रोकथाम एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय योजनाओं की समीक्षा (review)
8. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा (review) एवं

आवश्यक दिशा–निर्देश (directions)

9. राज्य में आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत मानकों (standards) का निर्धारण एवं तद्सम्बन्धित दिशा–निर्देश

राज्य सलाहकार समिति

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 17)

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र के विशेषज्ञों व आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सलाहकार समिति (Advisory committee) गठित करने के लिये प्राधिकृत

राज्य कार्यकारी समिति

(आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 20)

1. राज्य के मुख्य सचिव कार्यकारी समिति (Executive committee) के पदेन अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 04 विभागों के सचिव समिति के पदेन सदस्य

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कृत्यः

1. उत्तराखण्ड के समस्त 13 जनपदों के लिए आंकड़ों का संग्रहरण, विश्लेषण एवं मानचित्रीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सम्भावित आपदा से प्रभावित होने वाली तत्वों को सूचीबद्ध कर लागत कर लागत–हानि विश्लेषण एवं आपदा सूचना तंत्र का प्रत्येक स्तर पर विकास।
2. आपदा तैयारी एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की योजनाओं को प्रभावशाली बनाने का प्रयास, नीति निर्माताओं, योजना प्रबन्धकों जनपदीय कार्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं और जनसमुदाय को आपदा के बारे में जागरूक एवं संवदेनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, जनपद एवं क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियों का गठन।
3. जनपद, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण।
4. उत्तराखण्ड राज्य में आपदा प्रबन्धन की दिशा में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय एवं सामन्जस्य स्थापित करना।
5. आपदा प्रबन्धन की विधा का जागरूकता अभियान, प्रचार–प्रसार सामग्री एवं साहित्य के माध्यम से प्रचार, क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्यः

1. राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन।
2. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य योजना को मंजूरी देना।

3. राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन नीति का विश्लेषण एवं मंजूरी देना।
4. राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए पालन किए जाने वाले दिशा–निर्देश निर्धारित करना और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।
5. राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना।
6. शमन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना।
7. राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम और शमन के उपाय उनमें एकीकृत हैं।
8. राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करें और ऐसे दिशानिर्देश जारी करें जो आवश्यक हों।
9. आपातकालीन स्थिति में राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास राज्य प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के कार्योत्तर अनुसमर्थन के अधीन होगा।
10. आपदा से सम्बन्धित आंकड़ो का संग्रहण, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन।
11. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी शोघ एवं अनुसंधान।
12. आपदा प्रबन्धन समितियों का जनपद/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण।
13. नीति क्रियान्वयन एवं परिचालन प्रबन्धन।
14. सूचना का सही, शीघ्र एवं उपयोगी आदान–प्रदान।
15. जनसूचना का प्रसारण।
16. संसाधन प्रबन्धन।
17. पूर्व तैयारी एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की योजनाओं का निर्माण।
18. राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों को सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।
19. न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी (preparedness) उपायों हेतु वित्तीय संसाधनों की संस्तुति
20. आपदा रोकथाम एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय योजनाओं की समीक्षा (review)
21. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा (review) एवं आवश्यक दिशा–निर्देश (directions)
22. राज्य में आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत मानकों (standards) का निर्धारण एवं तद्सम्बन्धित दिशा–निर्देश

23. राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) का 24x7 प्रारूप पर नियमित संचालन।

आपातकाल में राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का पूर्ण नियंत्रण मुख्य सचिव के अधीन होगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र के मुख्य नियंत्रक होगें। आपातकालीन परिचालन केन्द्र आयुक्त, आपदा प्रबन्धन के अधीन कार्य करेगा और राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन तंत्र के लिए एक केन्द्रीकृत संस्थान के रूप में आपदा प्रबन्ध की विभिन्न क्रियाओं के लिए समन्वयक एवं परिवेक्षक का कार्य करेगा। आपातकालीन परिचालन केन्द्र को समय–समय पर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण **(USDMA)** होगा।

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
(State Emergency Operation Center)

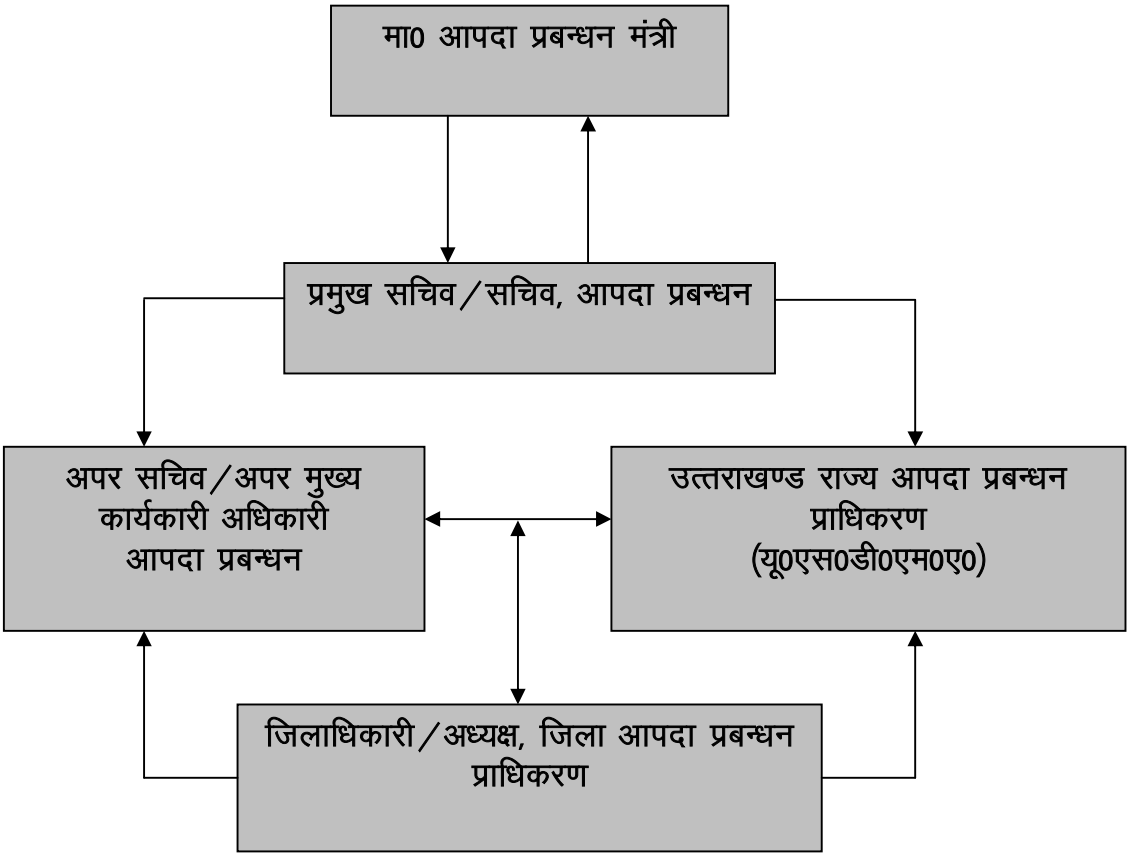

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून में सुव्यवस्थित संचालन हेतु पदों का सृजन शासनादेश संख्या–1356/XVIII-(2)/2018-03(2)/2016, दिनांक 11 मई, 2018 के माननीय राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया गया संलग्नक–

275 संख्या— /XVIII-(2)/2018–03 (2)/2016

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
सचिव,
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 11 मई, 2018

विषयः– आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन गठित 'राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' के संचालन हेतु पदों के सृजन तथा 'राज्य आपातकालीन परिचालन केंन्द्र', 'जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र' एवं 'जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों एवं इनमें पदो के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–14 में राज्य सरकार को 'राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' की स्थापना तथा धारा–16 में प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है। अधिनियम की संगत धाराओं के अतर्गत राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में नीति निर्धारण, कार्यों के सम्पादन व इस सम्बन्ध में उपायों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भागों में प्रभावी रूप से लागू कराये जाने के उद्देश्य से शासन की अधिसूचना संख्या–1198/XVIII-2/07–03(6)/2007 दिनांक 10, अक्टूबर 2007 द्वारा "उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" का गठन तथा अधिनियम की धारा–16 के अंतगर्त "राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" के संचालन तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले 'राज्य आपात कालीन परिचालन केन्द्र', 'जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' एवं 'जिला आपात कालीन परिचालन, केन्द्रों' के गठन एवं प्राधिकरण तथा इन केन्द्रो में कार्य संचालन हेतु समय–समय पर शासनादेशों द्वारा स्वीकृत किये गये पदों को शासनादेश संख्या–1628/XVIII-(2)/2016–03(2)/2016 दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा पुर्नगठित किया गया था।

2– भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में नीति निर्धारण, कार्यों के सम्पादन व इस सम्बन्ध में उपायों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित भागों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यू.एस. डी.एम.ए.) के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (प्रशासनिक शाखा), राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (क्रियान्वयन शाखा) तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले राज्य आपात कालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपात कालीन परिचालन केन्द्र के सम्बन्ध में पूर्व में

1

विद्यमान समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संस्थाओं एवं पदों के सृजन/पुर्नगठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(क) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (प्रशासनिक शाखा)

क0 स0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पुर्नगठन में पदो की संख्या	अभ्युक्ति
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संवर्गानुसार	01	• मुख्य सचिव पदेन
2.	सचिव	संवर्गानुसार	01	• प्रमुख सचिव/सचिव पदेन
3.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संवर्गानुसार	02	• पूर्व सृजित अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के 01 पद के स्थान पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद नाम प्रतिस्थापित करते हुए उक्त नाम से 01 पद अतिरिक्त स्वीकृत किया जा रहा है। • स्वीकृत पदों में 01 पद अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन पदेन रहेंगे। • 01पद पर भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग (वेतनमान रू0 ग्रेडपे 8700) से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा।
4.	वित्त अधिकारी	अपुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे0-5400	01	शासनादेश दिनांक 9 अगस्त 2016 द्वारा पूर्व में सृजित वित्त सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर।
5.	लेखाकार	अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200	01	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर 01 पद स्वीकृत है। • स्वीकृत पद को नियमित वेतनमान में रखा जा रहा है।
6	सहायक लेखाकार	अपुनरीक्षित वेतनमान 52200-20200 ग्रेड पे 2800	02	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा संविदा/प्रतिनियुक्ति से स्वीकृत 02 पद नियमित वेतनमान में सीधी भर्ती में रखा जा रहा है।
7.	निजी सहायक /स्टेनो	अधिकतम रू0 25,000/- प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा निजी सचिव/ निजी सहायक स्टेनों का 01 पद नियत वेतन पर सृजित है। • निजी सचिव/ निजी सहायक स्टेनों का पदनाम निजी सहायक स्टेनों में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
8	कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर	आउटसोर्स	02	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा कार्यालय सहायक/

	आपरेटर			डाटाइन्ट्री आपरेटर के 10 पद के स्थान पर 02 पद रखा जा रहा है।
9	वाहन चालक	आउट सोर्स	02	• वाहन चालक के 02 नये पद सृजित किये जा रहे है।
योग			13	

(ख) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (कियान्वयन शाखा)

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पुर्नगठन में पदो की संख्या	अभ्युक्ति
1	सीनियर कंसल्टेन्ट	अधिकतम रू01,25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	02	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
2	कंसल्टेन्ट	अधिकतम रू0 75,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
3	असिस्टेन्ट कंसल्टेन्ट	अधिकतम रू0 40,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	03	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
4	विशेषज्ञ	अधिकतम रू0 50,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	02	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
5	नियोजक	अधिकतम रू0 60,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	03	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा प्रबन्धक के 03 पद स्वीकृत किये गये है। • प्रबन्धक के पदनाम को नियोजक पदनाम में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
6	जागरूकता एवं प्रचार अधिकारी	अधिकतम रू0 40,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
7	मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव	रू0 35,000/– (अधिकतम) प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	04	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
8	सिस्टम एनालिस्ट	अधिकतम रू0 50,000/– प्रतिमाह	01	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।

		नियत वेतन संविदा के आधार पर		
9	भू–वैज्ञानिक	अधिकतम रू0 40,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	02	• नया पद सृजित किया जा रहा है।
10	निजी सहायक /स्टेनो	अधिकतम रू0 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	02	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा निजी सचिव/ निजी सहायक स्टेनों का 01 पद नियत वेतन पर सृजित है। • निजी सचिव/ निजी सहायक स्टेनों का पदनाम निजी सहायक स्टेनों में प्रतिस्थापित करते हुए 02 पद सृजित किये जा रहे है।
11	कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	06	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा कार्यालय सहायक/ डाटाइन्ट्री आपरेटर के 10 पद के स्थान पर 06 पद रखे जा रहे है।
12	जी0आई0एस0 आपरेटर	अधिकतम रू0 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	04	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा 02 पद स्वीकृत है। इस शासनादेश द्वारा 02 अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे है।
13	सर्वेयर	अधिकतम रू0 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	03	• सर्वेयर के 03 नये पद सृजित किये जा रहे है।
14	मल्टी पर्पज वर्कर	आउटसोर्स	06	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
15	वाहन चालक	आउट सोर्स	02	• वाहन चालक के 02 नये पद सृजित किये जा रहे है।
योग			42	

(ग) राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (एस.ई.ओ.सी.) : –

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पुर्नगठन में पदो की संख्या	अभ्युक्ति
1.	प्रभारी राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र	अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे 5400 पुनरीक्षित वेतनमान 56100–177500 लेवल–10	03	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।

2.	कार्यालय सहायक	अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेडपे 2000	03	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा कार्यालय सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर के संविदा के आधार पर स्वीकृत है। • स्वीकृत 05 पदों में से 03 पद कार्यालय सहायक वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेडपे 2000 नियमित वेतनमान में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	02	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा कार्यालय सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर के संविदा के आधार पर स्वीकृत । • 05 पदों में से 02 पद कम्प्यूटर आपरेटर पदनाम में प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
4.	मल्टी परपज वर्कर	आउट सोर्स	05	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा मल्टी परपज वर्कर के 05 पद आउटसोर्स के आधार पर स्वीकृत है।
5.	वाहन चालक	आउट सोर्स	03	• शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा वाहन चालक के 02 पद आउटसोर्स के आधार पर स्वीकृत है। • स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 01 पद नया सृजित किया जा रहा है।
योग			16	

(घ) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.):–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान (रू0 में)	पुर्नगठन में पदो की संख्या	अभ्युक्ति
1.	अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	संवर्गानुसार	13	• जिलाधिकारी पदेन।
2.	प्रभारी अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	संवर्गानुसार	13	• अपर जिलाधिकारी पदेन।
3.	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेडपे 5400	13	शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी का 01 पद अर्थात कुल 13 पद सृजित किया गया है।

4.	सहायक लेखाकार	अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 5200–20,200 ग्रेडपे 2800	13	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु लेखाकार के कुल 13 पदों के स्थान पर
5.	सहायक कंसलटेंट	रू0 20,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	13	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिये प्रत्येक जनपद हेतु सहायक कन्सल्टेंट के 01 पद अर्थात कुल 13 पद नियत वेतन पर सृजित किये गये थे। • शासनादेश संख्या–994, दिनांक 18.11.2009 के द्वारा प्रवर सहायक के सृजित 13 पदों के सापेक्ष उक्तानुसार नये पदनाम के साथ सृजित पद पर पूर्व से प्रवर सहायक के रूप में कार्य कर रहे कर्मी कार्य कर सकेंगे।
6.	कनिष्ठ अभियन्ता, (सिविल)	रू0 35,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	13	शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा पूर्व से सृजित।
7.	कनिष्ठ सहायक/डांटा एंट्री आपरेटर	आउट सोर्स	13	–
8.	मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव)	रू0 35,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	26	• नये पद सृजित किये जा रहे है। प्रत्येक जनपद में 02 मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव) तैनात किया जायेगा।
9.	मल्टी पर्पज वर्कर	आउट सोर्स	13	–
10.	वाहन चालक	आउट सोर्स	13	–
योग			143	

(ड.) जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डी.ई.ओ.सी.):–

क्र0 सं0	पदनाम	नियत वेतन (रू0में)	पदों की संख्या	विवरण/टिप्पणी
1.	सहायक प्रबन्धक /प्रभारी	अधिकतम वेतन–25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	39	• शासनादेश संख्या–1001, दिनांक 18.11.2009 द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में प्रवर सहायक/ड्यूटी प्रभारी पदनाम से सृजित पदों को शासनादेश दिनांक 09 अगस्त,

				2016 द्वारा सहायक प्रबन्धक/प्रभारी पदनाम में प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे संशोधित नियत वेतन में रखा जा रहा है।
2	कनिष्ठ सहायक/कम्पयूटर आपरेटर	आउट सोर्स	39	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु 03 पालियां हेतु कार्यालय सहायक/डाटाइन्ट्री आपरेटर के 03 पद अर्थात कुल 39 पद स्वीकृत किये गये है। • कार्यालय सहायक/डाटाइन्ट्री आपरेटर पद नाम कनिष्ठ सहायक/कम्पयूटर आपरेटर पद नाम प्रतिस्थापित किया जा रहा है।
3	मल्टी पर्पज वर्कर	आउट सोर्स	39	• शासनादेश दिनांक 09, अगस्त 2016 द्वारा द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए 03 पालियां हेतु मल्टी पर्पज वर्कर के 03 पद अर्थात कुल 39 पद स्वीकृत किये गये है।
योग			117	
महायोग			331	

1) शासनादेश द्वारा पुनर्गठन में यदि किसी नियमित पद को आउटसोर्स अथवा संविदा में प्रतिस्थापित किया गया है तो ऐसे पद पर नियमित रूप से कार्यरत कार्मिक के पद पर बने रहने तक उक्त पद नियमित स्वरूप का समझा जायेगा। उक्त पद पदोन्नति/पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर संविदा/आउटसोर्स से विहित प्रक्रियानुसार भरा जायेगा।

2) शासनादेश द्वारा सृजित के उपरान्त पुनर्गठित किये जा रहे पदों पर सीधी भर्ती/संविदा/आउटसोर्स पर तैनाती आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं उत्तराखण्ड आपदा न्यूनीकरण, प्रबन्धन तथा निवारण अधिनियम–2005 की संगत धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया/संगत सेवा नियमावली के आधार पर की जायेगी।

3) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण' के अंतर्गत पुनर्गठित केन्द्रों के संचालन एवं पदो के सृजन सम्बन्धी पूर्व से विद्यमान समस्त शासनादेश अतिकमित समझा जायेगा एवं पुनर्गठन में रखे गये पदों पर भर्ती हेतु विद्यमान नियमावालियों के संशोधन/परिमार्जन अथवा उक्त को अतिकमित करते हुए पृथक से सेवा नियमावली तैयार की जायेगी।

4) पुनर्गठन ढांचे में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन), राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, प्राधिकरण की सभी इकाईयों राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपाताकलीन परिचालन केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु विभागाध्यक्ष होंगे। विभागाध्यक्ष के द्वारा उपरोक्त इकाईयों हेतु प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का निवर्हन किया जायेगा।

5) शासनादेश द्वारा पुनर्गठन ढांचे में स्वीकृत पदो एवं पदो के सापेक्ष पदधारक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के संबंध में जॉब चार्ट तैयार कर प्राधिकरण से अनुमोदन लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून में सुव्यवस्थित संचालन हेतु पदों का सृजन शासनादेश संख्या 1615/XVIII-B-1/21-03(02)/2016 दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के माननीय राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया गया संलग्नकः–

USDMA - 2021

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1
संख्या–1615 /XVIII-B-1/21-03(02)/2016
देहरादून: दिनांक: 30 नवम्बर, 2021

30.11.21

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या–1356/XVIII-(2)/2018-03(2)/2016 दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के कुल 331 पदों का संरचनात्क ढांचा स्वीकृत किया गया था।

2– सचिव, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या:1080/ USDMA(Admin)59(2021) दिनांक 15 फरवरी, 2021 के द्वारा प्राधिकरण में कार्य की अधिकता एवं कियान्वयन शाखा के अन्तर्गत परियोजनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि, सूचना के अधिकार में प्राप्त आवेदन पत्रों की उत्तरोत्तर वृद्धिं होने तथा प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण, प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति आदि हेतु मुआवजा प्राप्त करने के लिये मा0 आयोगों/मा0 न्यायालयों में दायर होने वाले वादों की संख्या में निरन्तर हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्राधिकरण के प्रशासनिक एवं लेखा संवर्ग एवं तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ पदों को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के उद्देश्य से वर्तमान ढांचे को पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3– सचिव, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.02.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन तथा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–1356/XVIII-(2)/2018-03(2)/2016 दिनांक 11 मई, 2018 को अतिकमित करते हुए संरचनात्मक ढांचे को निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(क) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का पुनर्गठित ढॉचा–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	अभियुक्ति
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संवर्गानुसार	01	मुख्य सचिव पदेन	
2.	सचिव	संवर्गानुसार	01	प्रमुख सचिव / सचिव आपदा प्रबंधन पदेन	
3.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासनिक)	संवर्गानुसार	01	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन पदेन	
4.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संवर्गानुसार	01	भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग से (वेतनमान ग्रेड वेतन रू0 8700) से	

destop/SDMA stauture GO2021

	(क्रियान्वयन)			प्रतिनियुक्ति के आधार पर	
5.	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	संवर्गानुसार	01	कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्त	राज्य सिविल सेवा से, न्यूनतम ग्रेड वेतन–6600
6.	वित्त अधिकारी	वेतन स्तर–10 (अपुनरीक्षित वेतनमान 15600– 39100 ग्रेड पे0–5400)	01	वित्त विभाग द्वारा नियुक्त	
	योग		06		

(ख) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (प्रशासनिक शाखा)–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	अभियुक्ति
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन स्तर–8 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4800)	01	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नही हो जाते है तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है।
2.	प्रधान सहायक	वेतन स्तर–6 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200)	01	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नही हो जाते है तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है।
3..	वरिष्ठ सहायक	वेतन स्तर–5 (अपुनरीक्षित 5200–20200 ग्रेड वेतन–2800)	02	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिक उपलब्ध नही हो जाते है तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है।
4.	कनिष्ठ सहायक	वेतन स्तर–3 (अपुनरीक्षित 5200–20200 ग्रेड वेतन–2000)	03	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरण नही हो जाता है तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम भरा जा सकता है।
5.	लेखाकार	वेतन स्तर–6 (अपुनरीक्षित 9300–34800 ग्रेड वेतन–4200)	01	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति	उक्त पद तब तक प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकेगा जब तक सहायक लेखाकार के पद पर तैनात कार्मिक पदोन्नति हेतु अर्ह नही हो जाता है।
6.	सहायक लेखाकार	वेतन स्तर–5 (अपुनरीक्षित 5200–20200 ग्रेड वेतन–2800)	02	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरण नही होता है, तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है।
7.	निजी सहायक / स्टेनो	आउटसोर्स	03	आउटसोर्स	
8.	रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर	वेतन स्तर–5 (अपुनरीक्षित 5200–20200 ग्रेड वेतन–2800)	01	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति	जब तक इस पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरण नही होता है, तब तक इस पद को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकता है।
9.	कार्यालय सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	02	आउटसोर्स	
10	वाहन चालक	आउटसोर्स	02	आउटसोर्स	
	कुल योग		10		

(ग) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा)–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदो की संख्या	भर्ती का स्रोत
1.	सिविल एवं निर्माण विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000 / – प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर अथवा	01	संविदा / प्रतिनियुक्ति

		इंजीनियरिंग विभागों से न्यूनतम ग्रेड वेतन 6600 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर		
2.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर अथवा चिकित्सा विभाग से न्यूनतम ग्रेडवेतन 6600 से प्रतिनियुक्ति के आधार पर	01	संविदा/ प्रतिनियुक्ति
3.	परियोजना प्रबन्धक	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
4.	भू–वैज्ञानिक	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
5.	भूकम्प विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
6.	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
7.	सिस्टम विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
8.	जागरूकता एवं प्रचार विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
9.	मौसम विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
10.	प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
11.	आई0आर0एस0 विशेषज्ञ	अधिकतम रू. 70000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	01	संविदा
12.	जी0आई0एस0 आपरेटर	अधिकतम रू0 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन संविदा के आधार पर	04	संविदा
13.	कार्यालय सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	06	आउटसोर्स
14.	मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव)	रू. 35,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	04	संविदा
15.	मल्टी परपज वर्कर	आउटसोर्स	06	आउटसोर्स
16.	वाहन चालक	आउटसोर्स	02	आउटसोर्स
	योग		33	

(घ) राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (एस0ई0ओ0सी0)–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	अभ्युक्ति
1.	प्रभारी राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र	वेतन स्तर–10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू.15,600–39,100 ग्रेड पे0 5400)	03	सीधी भर्ती/ संविदा	सीधी भर्ती से चयन होने तक रू0 40000/– प्रतिमाह नियत वेतन के आधार पर संविदा में रखा जायेगा।
2.	कार्यालय सहायक	वेतन स्तर–3 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू. 5200–20,200 ग्रेडपे0 2000)	03	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती से चयन होने तक आउटसोर्स से लिया जायेगा।
3.	कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स,	02	आउट सोर्स	
4.	मल्टी पर्पज वर्कर	आउटसोर्स	05	आउटसोर्स	
5.	वाहन चालक	आउटसोर्स	03	आउटसोर्स	
	योग		16		

dextop/SDMA stauture GO2021

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0)–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1.	अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	संवर्गानुसार	13	पदेन
2.	प्रभारी अधिकारी जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	संवर्गानुसार	13	पदेन
3.	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	वेतन स्तर–10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू.15,600–39,100 ग्रेड पे0 5400)	13	सीधी भर्ती / संविदा / प्रतिनियुक्ति
4.	सहायक लेखाकार	वेतन स्तर–5 (अपुनरीक्षित वेतनमान रू. 5200–20,200 ग्रेडपे 2800)	13	सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक कंसलटेन्ट	रू. 20,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	13	संविदा
6.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	रू. 35,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	13	आउटसोर्स
7.	कनिष्ठ सहायक/ डाटाइंट्री आपरेटर	आउटसोर्स	13	आउटसोर्स
8.	मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव)	रू. 35,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	26	संविदा
9.	मल्टी पर्पज वर्कर	आउटसोर्स	13	आउटसोर्स
10.	वाहन चालक	आउटसोर्स	13	आउटसोर्स
	योग		143	

(च) जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डी0ई0ओ0सी0)–

क्र. स.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
1.	सहायक प्रबन्धक/प्रभारी	रू. 25,000/– प्रतिमाह (अधिकतम) नियत वेतन संविदा के आधार पर	39	संविदा
2.	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	39	आउटसोर्स
3.	मल्टी पर्पज वर्कर	आउटसोर्स	39	आउटसोर्स
	कुल योग		117	
	महायोग		333	

3– उक्तानुसार स्वीकृत संविदा के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:–

1. संविदा के पदों हेतु शैक्षिक अर्हताओं/अनुभवों का निर्धारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या–1356/XVIII-(2)/2018-03(2)/2016 दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा पूर्व में सृजित संविदा के ऐसे पद, जिनके सापेक्ष वर्तमान में कोई संविदा कार्मिक कार्यरत है तो कार्यरत संविदा पदधारक तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक उस पद पर उसकी

लागू अनुबन्ध की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। तदोपरान्त सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. प्राधिकरण के ढांचे के पुनर्गठन के उपरान्त संविदा के रूप में सृजित हो रहे सभी पदों को विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर भरा जायेगा।

4. उक्त संविदा के पदों के सापेक्ष नियुक्त अभ्यर्थी की संविदा अवधि प्रथम बार कुल 364 दिन रखते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। संविदा कार्मिक के कार्यों के परीक्षण के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा कार्मिक की संविदा अवधि को प्राधिकरण स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0 के अनुमोदन के उपरान्त अधिकतम एक-एक वर्ष कर कुल दो वर्ष, जिसमें प्रत्येक वर्ष के अनुबन्ध में एक दिन का व्यवधान देते हुए संविदा अवधि बढ़ायी जायेगी।

5. संविदा पदों के मानदेय वृद्धि हेतु सम्बन्धित संविदा कार्मिक की कार्यगुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त अधिकतम 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिकृत होंगे।

6. विशेषज्ञ पदों की निर्धारित अर्हताओं के अनुसार यदि सम्बन्धित विशेषज्ञ उक्त निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति प्रक्रिया के दो प्रयासों उपरान्त भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में भी सम्बन्धित विशेषज्ञों के मानदेय में वृद्धि कर संविदा पर तैनाती/नियुक्ति हेतु भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिकृत होंगे।

7. परियोजना शाखा के विशेषज्ञ श्रेणी के संविदा कार्मिकों का मानदेय/पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष क्षमता विकास मद से अनुमन्य होने की दशा में उक्त पदों के व्यय-भार का वहन एस0डी0आर0एफ0 मद से किये जाने का प्रयास किया जायेगा और यदि उक्त तालिका 'ग' के कमांक-01 एवं 02 पर इंगित विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तैनात किये जाते हैं, तो इन 02 विशेषज्ञ कार्मिकों का वेतन प्राधिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट से आहरित किया जायेगा।

8. प्राधिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत नियत/संविदा वेतन के कार्मिकों को उनके नियत वेतन स्लैब के अनुसार प्राधिकरण के कार्य से यात्रा हेतु पूर्व में आपदा प्रबन्धन विभाग के शासनादेश संख्या-152/XVIII-B-1/2020-1(1)/2020, दिनांक 17 जून, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार यात्रा भत्ता देय होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र संख्या-256/XXVII-(5)/2021 दिनांक 17 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(एस.ए. मुरूगेशन)
सचिव।

संख्या-1615/XVIII-B-1/2021-3(2)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. ... सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्राकृतिक आपदा की तात्कालिकता के दृष्टिगत उल्लिखित **प्रस्तर–3** की तालिका–**क** के **कमांक–5** में इंगित संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को यथाशीघ्र तैनात किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
8. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
10. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
11. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड।
16. सचिव, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
17. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
18. बजट अधिकारी, बजट राजकोषकीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
19. वित्त अनुभाग–5/7, उत्तराखण्ड शासन।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विकास सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या

संख्या– 1029 / XVIII-(2) / 10–3(1) / 2010 (F)

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2010

विषयः– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–994 / XVIII-(2)/09-3(8)/07, दिनांक 18.11.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु विभिन्न पदों का गठन किया गया है। उक्त पदों पर नियुक्ति प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

1– आपदा प्रबन्धन अधिकारी का 01–01 पद प्रत्येक जनपद हेतु (कुल 13 पद) सृजित किया गया है।

2– आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद पर यू.एन.डी.पी. सहायतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अंतर्गत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके पूर्व जिला परियोजना अधिकारी द्वारा यदि आवेदन किया जाता है तो उसे आन्तरिक समायोजन मानते हुए संविदा के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

3– इसके उपरान्त आपदा प्रबन्धन अधिकारी के शेष पदों हेतु चयन आउट सोर्सिंग के आधार पर किया जायेगा।

4– आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद पर संविदा पर लिये जाने वाले कार्मिको को उक्त शासनादेश द्वारा इस पद हेतु निर्धारित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। आपदा प्रबन्धन अधिकारी को नियत मानदेय के रूप में अधिकतम रू0 25,000 / – प्रति माह की धनराशि प्रदान की जायेगी।

5– प्रथमतः संविदा हेतु एक वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा। संतोष जनक सेवा होने पर संविदा अवधि आगे एक–एक वर्षों हेतु बढ़ायी जा सकती है। संविदा अवधि किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

6– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का कार्य एवं सात डेस्क सिस्टम के संचालन का समन्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपदा कार्य दलों, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन के अभिलेखों व दस्तावेजों का संकलन, आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का आदान–प्रदान, आपदा उपरान्त राहत कार्यों इत्यादि में सहयोग व समय–समय पर जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप आपदा सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित किया जायेगा।

&EOC\DMMC-08

-2-

इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-994/XVIII-(2)/09-3(8)/07, दिनांक 18.11.2009 के माध्यम से गठित अन्य पदों लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्रवर सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एवं अनुसेवक इत्यादि के पदों पर नियुक्ति आन्तरिक समायोजन या आउट सोर्स (जैसाकि उक्त शासनादेश में स्पष्ट है) के माध्यम से कराया जाएगा एवं वेतन/मानदेय का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाएगा।

8- उक्त पदों पर चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में प्राविधानित सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

भवदीय,

(एस0के0 मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- (1)/XVIII-(2)/10-3(01)/10 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10-अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

D:\DMMC&EOC\DMMC-08

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 3) राष्ट्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष (Chairman) एवं अधिकतम 09 सदस्यों से मिलकर बनेगाः

1. भारत के मा. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष
2. प्राधिकरण के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने की व्यवस्था
3. अध्यक्ष प्राधिकरण के किसी सदस्य को राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) घोषित कर सकने के लिये प्राधिकृत

2. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14)

1. मा. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष
2. अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम 08 सदस्य
3. राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य
4. प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी नामित सदस्य को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष घोषित कर कर सकने के लिये प्राधिकृत

शासनादेश संख्या–1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007, दिनांक 10.10.2007 द्वारा उत्तराखण्ड में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का स्वरूप निम्नवत् है:

1.	मा. मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
2.	मा. आपदा प्रबन्धन मंत्री	–	उपाध्यक्ष
3.	मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	–	सदस्य
4.	मा. पेयजल एवं सिंचाई मंत्री	–	सदस्य
5.	मा. परिवहन मंत्री	–	सदस्य
6.	मा. ग्राम्य विकास मंत्री	–	सदस्य
7.	राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव)	–	सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	प्रमुख सचिव, वित्त	–	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	–	सदस्य

3. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 18 व 19)

1. राज्य आपदा प्रबन्धन नीति का प्रतिपादन (formulation)
2. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का अनुमोदन (approval)
3. विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन
4. राज्य सरकार के विभागों को आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों को सम्बन्धित विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश
5. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन (implementation)

6. न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी (preparedness) उपायों हेतु वित्तीय संसाधनों की संस्तुति
7. आपदा रोकथाम एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उपायों का विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं में समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय योजनाओं की समीक्षा (review)
8. उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा (review) एवं आवश्यक दिशा–निर्देश (directions)
9. राज्य में आपदा प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत मानकों (standards) का निर्धारण एवं तद्सम्बन्धित दिशा–निर्देश

4. राज्य सलाहकार समिति (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 17)

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र के विशेषज्ञों व आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सलाहकार समिति (Advisory committee) गठित करने के लिये प्राधिकृत

5. राज्य कार्यकारी समिति (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 20)

1. राज्य के मुख्य सचिव कार्यकारी समिति (Executive committee) के पदेन अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 04 विभागों के सचिव समिति के पदेन सदस्य

शासनादेश संख्या–141/XVIII/08-3(6)/2007 दिनांक 18.01.2008 द्वारा उत्तराखण्ड में गठित राज्य कार्यकारी समिति का स्वरूप निम्नवत् हैः

1.	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त	–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन	–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	–	सदस्य

उक्त के अतिरिक्त राज्य कार्यकारी समति की बैठकों में निम्नलिखित अधिकारियों को विशिष्ट आमंत्री के रूप में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था हैः

1. प्रमुख सचिव, गृह
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
3. सचिव, सिंचाई
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल

6. राज्य कार्यकारी समिति के कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 22)

1. आपदा प्रबन्धन नीतियों व योजनाओं के क्रियान्वयन (implementation) हेतु समन्वयन (coordination)
2. आपदा संवेदनशीलता आंकलन (vulnerability assessment) व आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों का निर्धारण
3. जनपद व विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित किये जाने हेतु मार्ग–निर्देश (guidelines)

4. जनपद व विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण (monitoring)
5. विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु चिन्हित उपायों का समावेश सुनिश्चित करना
6. आपदा पूर्व तैयारी स्तर का आंकलन व इस हेतु दिशानिर्देश
7. आपदा प्रतिवादन (response) कार्यो का समन्वयन
8. राज्य में अवस्थित समस्त विभागों, संस्थाओं व अन्य को आपदा प्रतिवादन (response) सम्बन्धित निर्देश
9. आपदा रोकथाम (prevention) व न्यूनीकरण (mitigation) सम्बन्धित जानकारियों के प्रचार–प्रसार हेतु शिक्षा, जागरूकता (awareness) एवं प्रशिक्षण (training) कार्यक्रमों को प्रोत्साहन
10. आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त विभागों, संस्थाओं व अन्य को परामर्श (advise) व सहायता एवं इनके कार्यो में समन्वयन
11. जनपद एवं स्थानीय प्राधिकरणों को उनके दायित्वों के प्रभावी सम्पादन हेतु तकनीकी सहयोग
12. आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित वित्तीय पक्षों (financial matters) पर राज्य सरकार को परामर्श (advise)
13. राज्य में हो रहे निर्माण कार्यो में आपदा सुरक्षा मानकों (disaster safety standards) का समावेश (incorporation) सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश
14. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचनायें उपलब्ध करवाना
15. राज्य व जनपद स्तरीय प्रतिवादन (response) योजनाओं का विकास, पुनर्निरीक्षण (review) व उच्चीकरण सुनिश्चित किया जाना
16. संचार (communication) सम्बन्धित व्यवस्थायें सुनिश्चित करना और समय–समय पर आपदा सम्बन्धित अभ्यास (mock exercise /drill) करवाना
17. राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन

7. आपदा की परिस्थितियों में राज्य कार्यकारी समिति के कार्य व शक्तियाँ (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 24)

1. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात (vehicular traffic) नियंत्रित (control) व प्रतिबन्धित (prohibition) करना
2. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण या प्रतिबन्ध
3. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य सम्पादित करना
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावितों के लिये शरण/आश्रय (shelter), भोजन, पेयजल, आवश्यक सामग्रियों/वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं की व्यवस्था
5. सम्बन्धित विभागों व अन्य को जान–माल बचाने के उद्देश्य से खोज, बचाव, निकासी एवं तत्कालिक राहत (immediate relief) सम्बन्धित निर्देश
6. आपातकालीन प्रतिवादन (response)] राहत एंव बचाव कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के

उद्देश्य से संसाधनों को उपलब्ध करवाये जाने सम्बन्धित निर्देश

7. राहत एवं बचाव (relief & rescue) कार्यो के प्रभावी सम्पादन के लिये विशेषज्ञों का परामर्श लिया जाना
8. प्राथमिकता के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय (purchase)
9. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण व जन सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त किया जाना (demolish)
10. सुनिश्चित करना कि स्वयं सेवी संस्थायें (non-governmental organisations) उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव (discrimination) न करें
11. आपदा या आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक सूचनाओं का प्रचार–प्रसार (dissemination)
12. राज्य या केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप आपदा की स्थिति में वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन

8. राज्य आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 23)

राज्य आपदा प्रबन्धन योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेशित किया जाना है:

1. राज्य के विभिन्न भागों की अलग–अलग आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता (vulnerability)
2. आपदा रोकथाम (prevention) व इनके प्रभावों के न्यूनीकरण (mitigation) हेतु किये जाने वाले उपायों का विवरण
3. न्यूनीकरण उपायों का विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण
4. प्रयुक्त होने वाले पूर्व तैयारी (preparedness) उपायों व क्षमता विकास (capacity building) कार्यक्रमों का विवरण
5. उपरोक्त निर्धारित कार्यो के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के उत्तरदायित्व व भूमिका
6. आपदा प्रतिवादन (response) कार्यो में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्व (responsibilities) एवं भूमिका (roles)

9. राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 38)

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य, जनपद व स्थानीय निकायों एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यो के मध्य समन्वयन
2. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA)] राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee), राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) व जनपद प्राधिकरणों को सहयोग व सहायता
3. भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों पर उनके द्वारा वांछित या आवश्यक सहयोग व सहायता उपलब्ध करवाना
4. राज्य व जनपद योजनाओं में प्रयुक्त व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार के विभागों द्वारा वांछित या आवश्यक सहयोग व सहायता उपलब्ध करवाना
5. राज्य व जनपद योजनाओं में प्रयुक्त व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार के विभागों

द्वारा आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी उपायों के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक सहयोग व बजट व्यवस्था

6. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विभागीय विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उपायों का समावेश सुनिश्चित करवाना
7. राज्य की विकास योजनाओं में आपदा संवेदनशीलता न्यूनीकरण (disaster vulnerability reduction) हेतु आवश्यक उपायों का समावेश
8. राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनाओं का विकास सुनिश्चित करवाना
9. आपदा संवेदनशील जनसमुदाय के स्तर तक चेतावनी प्रसारण की समुचित व्यवस्था कराना
10. सुनिश्चित किया जाना कि राज्य सरकार के विभागों एवं जनपद प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त पूर्व तैयारी व्यवस्थायें की जायें
11. सुनिश्चित किया जाना कि आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिवादन (response)] राहत एवं बचाव (relief and rescue) हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाये जायें
12. आपदा प्रभावितों के लिये पुनर्वास (rehabilitation) व पुनर्निर्माण (reconstruction) सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना
13. आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक अन्य कार्यो का सम्पादन

10.राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40)

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुये राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन योजना का विकास किया जाना है:

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति राज्य के भिन्न–भिन्न भागों की संवेदनशीलता (vulnerability)
2. विभागीय विकास योजनाओं (plans) एवं कार्यक्रमों (programmes) में आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों का समावेश
3. आपदा की परिस्थितियों में विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के परिप्रेक्ष्य में उत्तरदायित्व व भूमिका (roles and responsibilities) का निर्धारण
4. उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन हेतु तैयारी का वर्तमान स्तर
5. विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो व उत्तरदायित्वों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित क्षमता विकास व पूर्व तैयारी व्यवस्थायें
6. आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय प्रत्येक विभाग द्वारा उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यो के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की जानी होगी

11.जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25)

1. जनपद का जिलाधिकारी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष
2. स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि प्राधिकरण का पदेन सह–अध्यक्ष
3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य
6. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम 02 जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य

शासनादेश संख्या–1501-13/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 04.12.2007 द्वारा उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित

12. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियॉ व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30)

1. जनपद प्रतिवादन योजना (response plan) को समावेशित करते हुये जनपद आपदा प्रबन्धन योजना का विकास
2. राष्ट्रीय नीति (policy), राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं (plans) के क्रियान्वयन (implementation) हेतु समन्वयन (coordianation) व परिवीक्षण (monitoring)
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन (response) हेतु निर्गत मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन (implementation) के स्तर का अनुश्रवण (monitoring)
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन (implementation) सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण (monitoring)
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं (capacity) की समीक्षा (review) व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण (upgradation) हेतु दिशा–निर्देश
11. पूर्व तैयारी (preparedness) के स्तर की समीक्षा (review) एवं सम्भावित आपदाओं का

सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश

12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वंय सेवी बचाव कार्मिकों (voluntary rescue workers) के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों (specialized training programmes) का आयोजन
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों (community training and awareness programmes) का आयोजन
14. आपदा चेतावनी तंत्र (warning mechanism) व जन सूचना तंत्र (public information system) विकसित किया जाना एवं इसका रख–रखाव व उच्चीकरण
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन (response) योजना व मार्गनिर्देशिकाओं (guidelines) का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण
16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन (response) कार्यो का समन्वयन (coordination)
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन (response) योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये
18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन (response) सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एंव जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश
19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यो में समन्वयन
20. आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों के त्वरित (prompt) एवं प्रभावी (effective) क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा–निर्देश
21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना
22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा (review)
23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण (inspection) एवं मानकों की अवहेलना (non-compliance) पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश
24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ–सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना
25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंडारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके

26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं (social welfare institutions) को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो के लिये प्रोत्साहित करना
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र (communication systems) कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन

13. आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34)

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तिओं के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध
4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप वांछित सामग्री की आपूर्ति
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (demolish) किया जाना
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन

14. जनपद आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 31)

जनपद स्तरीय योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जाना है:

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों व क्षेत्रों का चिन्हांकन व विवरण
2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य
3. त्वरित एवं प्रभावी आपदा प्रतिवादन (response) के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता विकास (capacity building) एवं पूर्व तैयारी (preparedness) हेतु जनपद स्तरीय सरकारी

विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य

4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति के लिये प्रतिवादन (response) योजना एवं कार्यविधियाँ (operating procedures):
   - जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण
   - आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एवं तत्कालिक राहत
   - आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति
   - संचार तंत्र की स्थापना
   - जन साधारण के लिये सूचनाओं का प्रसारण
   - राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारियाँ

15. जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी है:

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाले आपदा रोकथाम व न्यूनीकरण उपायों हेतु व्यवस्थायें एवं संसाधन (resources)
2. जनपद योजना के अनुरूप क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यो हेतु व्यवस्थायें
3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये प्रतिवादन योजना (response plan) व कार्यविधियाँ (operating procedures)

16. आपदा प्रबन्धन हेतु संसाधन (आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा 46, 47, 48 व 50)

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष (National Disaster Response Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 46)

1. केन्द्र सरकार द्वारा आपदा की स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था
2. यह कोष आपातकालीन प्रतिवादन (response), राहत एवं पुनर्वास सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee) को उपलब्ध
3. इस कोष का उपयोग आपातकालीन प्रतिवादन (emergency response), राहत (relief), एवं पुनर्वास (rehabilitation) हेतु जाना अनुमन्य
4. इस कोष से व्यय के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) से परामर्श कर मानक बनाये जाने की व्यवस्था

(ख) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (National Disaster Mitigation Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 47)

1. आपदा न्यूनीकरण आवश्यकताओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था

2. इस कोष का संचालन राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) द्वारा किये जाने की व्यवस्था

(ग) राज्यों द्वारा स्थापित कोष (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48)

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कोष स्थापित किये जाने की व्यवस्था है:

1. राज्य आपदा प्रतिवादन कोष	**(State Disaster Response Fund)**
2. राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष	**(State Disaster Mitigation Fund)**
3. जनपद आपदा प्रतिवादन कोष	**(District Disaster Response Fund)**
4. जनपद आपदा न्यूनीकरण कोष	**(District Disaster Mitigation Fund)**

राज्य आपदा प्रतिवादन कोष राज्य कार्यकारी समिति को व उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कोष राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध होगा। जनपद स्तरीय कोष जनपद प्राधिकरणों को उपलब्ध होंगे

(घ) आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 50) आपदा की परिस्थितियों में राष्ट्रीय या राज्य प्राधिकरण के बचाव या राहत सामग्रियों की आपातकालीन क्रय आवश्यकता के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में:

1. इनके द्वारा सम्बन्धित विभाग को आपातकालीन क्रय हेतु प्राधिकृत (authorize) किया जा सकता है तथा इन परिस्थितियों में सामान्य निविदा प्रक्रिया (tender procedure) का अनुपालन किये जाने की बाध्यता नहीं होगी
2. राष्ट्रीय, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी (authorized controlling officer) द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेखा (accounting) सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिये पर्याप्त

17. दंडात्मक व्यवस्थायें (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा, 51–56)

(क) अवरोध उत्पन्न करना: बिना पर्याप्त एवं तर्कसंगत कारण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन कर रहे राज्य या केन्द्र सरकार के कार्मिकों या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्यो को बाधित (obstruct) करने या, राज्य या केन्द्र सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा

या

उनकी ओर से निर्गत निर्देशों की अवहेलना (non-compliance) के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास (imprisonment) या अर्थदण्ड (fine) या दोनों दिये जा सकते हैं। दोषी व्यक्ति के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या जान जोखिम में पड़ने की स्थिति में कारावास की अवधि को दो वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51)

(ख) दोषपूर्ण दावे: राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण या अन्य लाभों के लिये जाने के उद्देश्य से सरकार एवं सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष जान–बूझ कर (knowingly) गलत दावे (false claims) प्रस्तुत करने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड (fine) दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52)

(ग) धन या संसाधनों का दुरूपयोग: आपदा की परिस्थिति में धन एवं संसाधनों की संरक्षा (custody) के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या अन्य के लिये इनका उपयोग किये जाने या किसी अन्य को ऐसा करने के लिये विवश (compel) करने पर

सम्बन्धित को दो वर्ष तक का कारावास व अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 53)

(घ) मिथ्या चेतावनी (false warning) आपदा या फिर उसकी तीक्षणता (severity) या परिमाण (magnitude) के विषय में मिथ्या चेतावनी देने के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 54)

(ङ) अधिकारी द्वारा कार्य न करना: जब तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय से लिखित अनुमति न ली जाये इस अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यो का सम्पादन न करने पर या इस हेतु उपस्थित न होने पर उसे एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 56)

18.आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान

(क) राहत कार्यो के लिये संसाधनों को हस्तगत करना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 65): सम्बन्धित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न के सन्दर्भ में संतुष्ट होने पर कि

1. त्वरित प्रतिवादन (response) के लिये किसी संस्था या व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन आवश्यक है
2. बचाव कार्यो के लिये किसी अवसंरचना की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ सकती है या
3. संसाधनों की आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपूर्ति के लिये या फिर बचाव, पुनर्वास या पुनर्निमाण सम्बन्धित यातायात व्यवस्था के लिये किसी विशिष्ट यातायात साधन की आवश्यकता है

- सम्बन्धित प्राधिकृत व्यक्ति के लिखित आदेशों के क्रम में उक्त संसाधनों को अधिग्रहित किया जा सकता है परन्तु इन संसाधनों को अधिग्रहित किये जाने की अवधि इनके आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली अवधि से अधिक नहीं होगी
- संसाधनों के अधिग्रहण सम्बन्धित आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड (fine) दिया जा सकता है

(ख)चेतावनी प्रसारण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 67 व 74)

1. राष्ट्रीय, राज्य व जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा सम्बन्धित चेतावनियों, जानकारियों या अन्य के प्रसारण के लिये किसी भी प्रकार के श्रव्य या दृश्य–श्रव्य संचार माध्यम (audio or audio-visual media) के नियंत्रक को इस हेतु निर्देशित किये जाने की संस्तुति सरकार को कर सकती हैं और सम्बन्धित संचार माध्यम उक्त का अनुपालन किये जाने के लिये बाध्य होगा
2. केन्द्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारी समितियों तथा राष्ट्र, राज्य व जनपद प्राधिकरणों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके द्वारा अधिकारिक क्षमता (official capacity) में दी गयी या प्रसारित की गयी किसी भी आपदा सम्बन्धित चेतावनी के लिये या फिर इस प्रकार की चेतावनी के आधार पर निर्गत आदेशों या किये गये कार्यो के लिये पूर्ण विधीय प्रतिरक्षा (immunity) प्राप्त होगी
3. विधिय व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 71 व 73)

- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) एवं उच्च न्यायालय (High Court) के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी भी कार्य, आदेश, निर्देश या मार्गनिर्देश के सम्बन्ध में विधीय कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी
- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत या तद्सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अच्छी भावना से किये गये किसी भी कार्य के लिये राज्य या केन्द्र सरकार या राज्य व जनपद प्राधिकरण, या इनका कोई कार्मिक या इनके लिये कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना मार्ग–निर्देशिका

1. प्रस्तावना

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 के अनुपालन में राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी हैं। विभागों द्वारा विकसित इन योजनाओं को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1198/XVIII(2)/07-3(6)/2007, दिनांक 10.10.2007 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है

2. उद्देश्य

विभागों द्वारा विकसित की जाने वाली आपदा प्रबन्धन योजनाओं का उद्देश्य निम्नवत् हैं:

- विभागों द्वारा किये जाने वाले नियमित कार्यो के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित् किया जाना
- आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा निर्वहन किये जाने वाले उत्तरदायित्वों (respon sibilities) का सफल व त्वरित (prompt) सम्पादन सुनिश्चित् किया जाना
- विभागों की परिसम्पत्तियों (infrastructure), मानव संसाधन (human resource) व अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित् करना
- विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की परिधि में आने वाले व्यक्तियों एवं अन्य की सुरक्षा सुनिश्चित् करना
- आपदा से प्रभावित होने की स्थिति में त्वरित पुनर्स्थापना (restoration)

3. योजना निर्माण की रणनीति

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना पर कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर विभागीय योजना की रूपरेखा विकसित किया जाना उपयोगी एवं आवश्यक होगा–

1. विभिन्न आपदायें जिनसे राज्य प्रभावित हो सकता है और उनका सम्भावित परिमाण (magnitude) व विस्तार (extent)

- आपदाओं का विवरण (उदाहरणार्थ– भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, बाढ़, अतिवृष्टि, सूखा, महामारी, दुर्घटना, अग्निकाण्ड आदि)
- क्षति का सम्भावित परिमाण

2. विभिन्न आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभाग के उत्तरदायित्व (responsibilities)
   - राज्य स्तरीय
   - जनपद स्तरीय
   - स्थानीय स्तर

3. इन आपदाओं से विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) को हो सकने वाली सम्भावित क्षति का परिमाण
   - विभागीय परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन
   - सम्भावित आपदा के परिप्रेक्ष्य में हो सकने वाली क्षति

4. विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) को उपरोक्तानुसार हुई क्षति के आलोक में विभागीय दायित्वों (responsibilities) के सम्पादन में उत्पन्न हो सकने वाली बाधायें व उनके निवारण हेतु वांछित उपाय
   - सम्भावित क्षति का विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर प्रतिकूल (adverse) प्रभाव
   - सम्भावित क्षति का विभाग द्वारा आपदा की स्थिति में किये जाने वाले कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव
   - उपरोक्त के निवारण हेतु स्थानीय, जनपद व राज्य स्तर पर वांछित उपाय

5. आपदा की स्थिति के लिये चिन्हित विभागीय उत्तरदायित्वों (responsibilities) के सफल सम्पादन हेतु विभागीय क्षमता (capacity) का वर्तमान स्तर
   - विभागीय उत्तरदायित्वों (responsibilities) के सापेक्ष विभागीय कार्मिकों के प्रशिक्षण (training) की आवश्यकता
   - विभागीय उत्तरदायित्वों के सापेक्ष आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभाग में प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी
   - विभागीय उत्तरदायित्वों के सापेक्ष प्रशिक्षित कार्मिकों की पर्याप्तता (adequacy)

6. विभागीय क्षमता विकास हेतु किये जाने वाले मुख्य कार्यो का चिन्हांकन व क्षमता विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा
   - विभागीय कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता (needs assessment)
   - प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय, रूपरेखा व स्वरूप (भूकम्प अवरोधी भवन निर्माण तकनीक, प्राथमिक चिकित्सा, भूकम्प जागरूकता/बचाव, भूस्खलन रोकथाम/बचाव व अन्य)
   - उक्त कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु वांछित प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम संस्थाओं का चिन्हांकन

- उक्त कार्यक्रमों के वित्तपोषण हेतु विभागीय व्यवस्थायें

7. विभाग द्वारा सामान्यतः किये जाने वाले कार्यो में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों को समावेशित किये जाने की सम्भावनायें
   - विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो का चिन्हांकन
   - आपदा से इन कार्यो पर पड़ सकने वाला प्रतिकूल (adverse) प्रभाव
   - इन प्रभावों को कम करने हेतु व्यवस्थायें
   - विभागीय परिसम्पत्तियों (infrastructure) में आपदारोधी तकनीकों (disaster resistant techniques) के समावेश का वर्तमान स्तर
   - आपदा से विभागीय परिसम्पत्तियों को हो सकने वाली क्षति का परिमाण (magnitude)
   - विभागीय परिसम्पत्तियों को सम्भावित क्षति को कम किये जाने हेतु उपाय
   - उपरोक्त हेतु विभाग स्तर पर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था
8. इस दिशा में विभाग द्वारा वर्तमान तक किये गये प्रयास
   - विभागीय परिसम्पत्तियों व क्रियाकलापों को आपदा से सुरक्षित बनाये जाने हेतु वर्तमान तक विभाग द्वारा किये गये कार्य
9. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों को नियमित विभागीय कार्यो में समावेशित किये जाने का औचित्य
   - विभागीय परिसम्पत्तियों व क्रियाकलापों को आपदा से हो सकने वाली क्षति के सापेक्ष आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी उपायो की सार्थकता

4. विभागीय आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ व नोडल अधिकारी

विचार–विमर्श के उपरान्त विभाग के स्तर पर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ (Cell) का गठन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकोष्ठ का दायित्व सक्षम स्तरीय विभागीय अधिकारी (विभागीय नोडल अधिकारी) को दिया जाना होगा व उक्त नोडल अधिकारी राज्य व जनपद स्तर पर उपलब्ध विभागीय संसाधनों (मानव संसाधन, उपकरण, अवसंरचनायें व अन्य) से सम्बन्धित जानकारियों को सूचीबद्ध कर निर्दिष्टि प्रारूप में आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध करवाये जाने, इनके नियमित उच्चीकरण किये जाने व विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियों (Standard Operations Procedures; SOPs) तथा विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना के विकास हेतु उत्तरदायी होगा। उक्त अधिकारी आपदा की स्थिति में विभागीय संसाधनों के मोबिलाईजेशन (mobilization) एवं विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के समन्वयन (co-ordination) हेतु राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (State Emergency Operation Centre) में आपदा से सम्बन्धित सूचना मिलते ही अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित् करेगा। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की सहायता हेतु जनपद स्तर पर भी आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये नोडल अधिकारी को नामित किया जाना आवश्यक होगा।

5. विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का प्रारूप

उपरोक्त के क्रम में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को निम्नवत् अध्यायों के अनुरूप

विकसित किया जाना है:

अध्याय–1

प्रस्तावना (introduction), परिकल्पना (vision) व उद्देश्य (objectives)

अध्याय–2

आपदाओं के प्रति राज्य की संवेदनशीलता (vulnerability) एवं पूर्व में आपदा की स्थितियों में विभाग द्वारा सम्पादित विशिष्ट कार्य

- राज्य में सम्भावित आपदायें
- आपदाओं का सम्भावित परिमाण (magnitude) व भौगोलिक विस्तार (geographical extent)
- आपदाओं से हो सकने वाली क्षति का परिमाण (magnitude)
- पूर्व में घटित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुभव व किये गये विशिष्ट कार्य

अध्याय–3

विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्यो का विवरण व इनमें आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों के समावेश की सम्भावनायें–

– आपदा से पहले (जागरूकता, प्रशिक्षण, उपकरणों का क्रय, नियोजन व तैयारी)
– आपदा की अवधि में (राहत एवं बचाव कार्य, आवश्यक सेवायें
– आपदा के उपरान्त (विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत (repair) व विभागीय सेवाओं की पुनर्स्थापना

- विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य व दी जाने वाली सेवायें
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों का समावेश

अध्याय–4

आपदा की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले उत्तरदायित्वों (responsibilities) का विवरण–

– आपदा से पूर्व
– आपदा के समय
– आपदा के उपरान्त

- जागरूकता (awareness)
- प्रशिक्षण (training)
- नियोजन (planning)
- खोज एवं बचाव (search & rescue)
- प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- राहत शिविर संचालन (relief camp management)
- राहत व्यवस्था एवं वितरण
- यातायात व संचार (transport and communication) व्यवस्था की पुनर्स्थापना (restoration) एवं अन्य
- विभागीय सेवाओं का पुर्नसंचालन

अध्याय–5

विभाग द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले कार्यो के अन्तर्गत आपदा न्यूनीकरण

(mitigation) व रोकथाम (prevention) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम व उनके सफल सम्पादन हेतु विकसित रणनीति

- विभागीय अवसंरचनाओं का मजबूतीकरण (retrofitting strengthening)
- विभागीय कार्य विशेष के सन्दर्भ में आपदा न्यूनीकरण व रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा
- इन कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय व्यवस्थायें

अध्याय–6

आपदा प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में विभागीय क्षमता विकास नीति

- प्रशिक्षण का औचित्य (logic)
- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण (needs assessment)
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा (structure and outline) एवं समय सारणी (time table)
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्वयन (implementation) हेतु व्यवस्था

अध्याय–7

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजनाओं की समीक्षा (review), व उच्चीकरण (updation) हेतु **व्यवस्था–**

– आपदा उपरान्त समीक्षा (post disaster review)
– उच्चीकरण सुझाव
– योजना का उच्चीकरण

- आपदा उपरान्त विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो की समीक्षा (review)
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो में आपदा प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित पक्षों के समावेश का स्तर
- त्रुटियों/कमियों (shortcomings) का चिन्हांकन
- योजनाओं के उच्चीकरण हेतु सुझाव
- विभाग द्वारा सम्पादित कार्यो के मूल्यांकन (evaluation) के आलोक में विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का उच्चीकरण

अध्याय–8

अन्य कोई सम्बन्धित विषय

संलग्नक– उक्त के अतिरिक्त विभागीय कार्ययोजना में निम्नलिखित को संलग्नक/परिशिष्ठ (annexure) के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा–

संलग्नक–1: प्रमुख विभागीय अधिकारियों का विवरण
(नाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)

संलग्नक–2: आपदा के सन्दर्भ में विभागीय संसाधनों (resources) की सूची
(संसाधन, क्षमता, स्थान, आदि सहित)

संलग्नक–3: आपदा के सन्दर्भ में विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यो के लिये राज्य व जनपद स्तर पर उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण (नाम, पदनाम, पता, सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल संख्या)

संलग्नक–4: आपदा की स्थिति हेतु विशिष्ट निर्णय–निर्धारण (decision making) व दिशा–निर्देशन (direction) नियमावली

संलग्नक–5: आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु विभागीय बजट व्यवस्था का विवरण

- आपदा पूर्व जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पूर्व तैयारी हेतु
- आपदा पूर्व रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु
- आवश्यक उपकरणों एवं अन्य की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु
- आपदा पूर्व अभ्यासों (Mock exercises) हेतु
- आपदा की स्थिति में चिन्हित दायित्वों (responsibilities) के निर्वहन हेतु
- पुनर्निर्माण (reconstruction) एवं पुनर्स्थापना (restoration) हेतु

संलग्नक–6: आपदा की स्थिति हेतु विभागीय मानक प्रचालन कार्यविधियाँ (Standard Operating Procedures: SOPs)

आपदा राहत हेतु संस्थागत व्यवस्था

दूसरे वित्त आयोग (Finance Commission) से अब तक सभी वित्त आयोगों द्वारा आपदा राहत हेतु राज्य सरकार के राजस्व से व्यवस्था किये जाने के साथ–साथ एक सीमा तक केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु सहायता प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती रही है।

नौवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर स्थापित एवं आपदा की स्थिति में राज्यों को वर्तमान में उपलब्ध आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund (CRF) के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

- आपदा राहत कोष (CRF) का उपयोग चक्रवात (cyclone), सूखा (drought), भूकम्प (earthquake), आग (fire), बाढ़ (flood), ओलावृष्टि (hailstorm), भूस्खलन (landslide), हिम–स्खलन (avalanche), बादल फटना (cloud burst) व कीट आक्रमण (pest attacks) से प्रभावितों को तत्कालिक राहत (immediate relief) प्रदान करने के लिये किया जा सकना अनुमन्य
- राज्यों के लिये आपदा राहत कोष के परिमाण का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) को ध्यान में रखते हुवे मुख्य शीर्षक 2245 के अन्तर्गत पूर्व के वर्षो में किये गये व्यय के आधार पर किये जाने की व्यवस्था
- अपेक्षाकृत कम सम्पन्न राज्यों (बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल) तथा विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिये सम्पूर्ण आपदा राहत कोष के

25 प्रतिशत की अतिरिक्त व्यवस्था

- आपदा राहत कोष के लिये केन्द्र व राज्य के अंशों का निर्धारण 75:25 के अनुपातानुसार
- केन्द्र सरकार के अंश को राज्य सरकारों को दो किस्तों में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की मई व नवम्बर की पहली तारीख में)
- आपदा राहत कोष से व्यय की गयी धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर मदवार विवरण दिये जाने की व्यवस्था
- आपदा राहत कोष का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्र एवं जन समुदाय को तात्कालिक राहत दिये जाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों व मानकों के अनुरूप किये जाने की व्यवस्था
- आपदा प्रभावित क्षेत्र एवं आबादी से सम्पर्क और आपदा राहत प्रचालनों (operations) से सीधे जुड़े कार्यो के अतिरिक्त अवसंरचनाओं (infrastructure) के पुनः स्थापन एवं अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन प्राथमिकता के आधार पर योजनागत मदों से किये जाने की व्यवस्था
- किसी वर्ष विशेष में व्यय की जाने वाली राशि के आपदा राहत कोष में उपलब्ध राशि से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार को अगले वर्ष के लिये केन्द्र से देय धनराशि का 25 प्रतिशत अग्रिम दिये जाने की व्यवस्था
- आपदा राहत कोष का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान
- आपदा राहत कोष का निवेश राज्य की राजधानी में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान
- पांच वर्षो की योजना अवधि के अन्त में कोष में अवशेष धनराशि राज्यों को अगली योजना के लिये संसाधन के रूप उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान
- राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष की व्यवस्था पूर्व की तरह तथा इससे व्यय राशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कर (National Calamity Contigent Duty) व अन्य अधिभारों द्वारा किये जाने की व्यवस्था
- राहत उपायों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली खाद्यान्न सहायता की व्यवस्था

राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (National Calamity Contingency Fund; NCCF)

असाधारण तीक्ष्णता (severity) वाली आपदाओं की स्थिति में आपदा राहत कोष की सीमाओं को सभी वित्त आयोगों द्वारा स्वीकारा गया और दसवें वित्त आयोग द्वारा इस हेतु पृथक वित्तीय व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की गयी। आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (National Fund for Calamity Relief; NFCR) के गठन की संस्तुति की गयी और इस कोष के संचालन और व्यवस्थापन के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (National Calamity Relief Committee; NCRC) को प्राधिकृत किया गया।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की प्रक्रिया को काफी लम्बा तथा उपलब्ध–धनराशि को 5 वर्षो के लिये अपर्याप्त पाया गया और इसे बन्द किये जाने की संस्तुति की गयी। आयोग के द्वारा असाधारण तीक्ष्णता वाली आपदाओं की स्वतः पहचान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के स्तर पर व्यवस्था विकसित किये जाने तथा तद्नुसार राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (National Calamity Contingency Fund; NCCF) के गठन की संस्तुति की गयी। ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष की व्यवस्थाओं के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

1. चक्रवात, सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, त्वरित बाढ़ बादल फटना, हिम स्खलन, भू–स्खलन, कीट आक्रमण एवं ओलावृष्टि से सम्बन्धित आपदाओं के परिवीक्षण (monitoring) के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र (National Centre for Calamity Management; NCCM) का गठन व इसके द्वारा केन्द्र सरकार को असाधारण तीक्षणता वाली आपदाओं के घटित होने और सम्बन्धित राज्य को केन्द्र व अन्य राज्यों से सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति किये जाने की व्यवस्था
2. केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गयी सहायता की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय करों में विशिष्ट अधिभार, राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कर (National Calamity Contingent Duty), द्वारा किये जाने और इससे प्राप्त धन को केन्द्र सरकार के सार्वजनिक लेखा के अन्तर्गत पृथक कोष में रखे जाने का प्रावधान
3. कोष में वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध अवशेष राशि को अगली योजना के लिये संसाधन के रूप में केन्द्र सरकार को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था

15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के लिये पहली बार आपदा पूर्व रोकथाम व न्यूनीकरण कार्यों के साथ ही क्षमता विकास हेतु औपचारिक रूप से वित्तीय व्यवस्था की गयी तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध आपदा सम्बन्धित समस्त वित्तीय संसाधनो के लिये राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष (SDRMF) की व्यवस्था की गयी, जिसके अन्तर्गत 80 प्रतिशत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) तथा 20 प्रतिशत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) हेतु निर्दिष्ट किया गया।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का 50 प्रतिशत (कुल धनराशि का 40 प्रतिशत) आपदा के उपरान्त राहत व बचव हेतु, 37.5 प्रतिशत (कुल धनराशि का 30 प्रतिशत) पुर्नप्राप्ति व पुनर्निमाण हेतु तथा अवशेष 12.5 प्रतिशत (कलु धनराशि का 10 प्रतिशत) क्षमता विकास हेतु रखा गया है, जिसे निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया हैः–

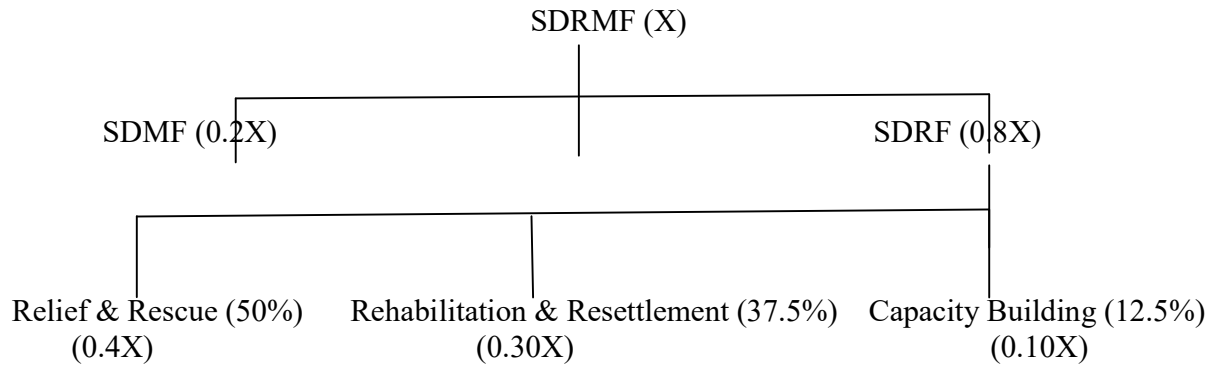

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र.स	नाम/ पदनाम	कार्य–दायित्व
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य सचिव)	पदेन
2.	प्रमुख सचिव/सचिव	पदेन
3.	अपर सचिव/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)	पदेन
4.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन)	**Response and Rescue** **(Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers)** **-Field Training & Capacity Building (Planning & Execution)** **-IRS, IDRN, Prepration of SOPs, Mock Drills, Prepration of Sendai framwork** **-Execution of IDMS & EWS** **-Co-ordination with other team leaders** **-Reports Prepration & Presentation to relief Commissioner**
5.	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1. अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य, कोर्ट केस, आर0टी0आई0, अधियाचन, विधानसभा प्रश्न, यू0एस0डी0एम0ए0 कार्यालय का संचालन सम्बन्धी समस्त कार्य, कार्मिकों की नियुक्ति तैनाती, रिक्त पदों का विज्ञापन, शासन से समय–समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं सम्बन्धी कार्य, वाहनों का रख–रखाव तथा लॉग बुक सत्यापन सम्बन्धी कार्य, कार्यालय संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्य, रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर से सम्बन्धित कार्य, E-Office, E- File Generation & E-Record Keeping के अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य आदि ऐसे समस्त कार्य जो प्राधिकरण के संचालन हेतु प्रशासनिक कार्यो के क्षेत्र में आते हैं। 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

6.	**वित्त अधिकारी**	**1.**यू.एस.डी.एम.ए./यू.एल.एम.एम.सी. में तैनात समस्त अधिकारियों/विशेषज्ञों/कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी कार्य, बजट की मांग करना/अनुपूरक बजट मांग सम्बन्धी कार्य, कोषागार एवं टैली से सम्बन्धित कार्य, विभिन्न पत्रावलियों पर वित्तीय परामर्श सम्बन्धी कार्य, महालेखाकार से सम्बन्धित कार्य, ऑडिट से सम्बन्धित कार्य, अधिप्राप्ति नियमावली से सम्बन्धित कार्य, परियोजनाओं के बजट एवं आय–व्यय से सम्बन्धी कार्य, World Bank परियोजना के बजट का कोषागार सम्बन्धी कार्य, SDRF/ SDMF, CSR एवं PM Care Fund मद में प्राप्त धनराशि तथा आय–व्यय सम्बन्धी कार्य, Chartered Accountant के कार्यो का पर्यवेक्षण, उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी कार्य, Tally एवं IFMS सम्बन्धी समस्त कार्य, बिल–वाउचरों का रख–रखाव, टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 कटौती का चलान तैयार कर निर्धारित समयान्तर्गत किया जाना, विभिन्न बैंक खातों का बैंक Reconciled तैयार करना तथा अन्य ऐसे समस्त कार्य जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, आदि वित्तीय मामलें सम्बन्धी कार्य। **2.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
	प्रशासनिक शाखा	
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1. प्राधिकरण के अन्तर्गत सृजित तीनों शाखाओं यथा प्रशासनिक, कियान्वयन एवं कन्ट्रोल रूप में कार्यो का पर्यवेक्षण/बायोमैट्रिक्स उपस्थिति का निरीक्षण व उच्च स्तर पर प्रस्तुत करना/लोक सूचना अधिकारी के पद दायित्वों का निवर्हन/नोडल अधिकारी मा0 न्यायालय वाद सम्बन्धित पत्रावलियों एवं बीजक के भुगतान हेतु/बीजकों का सत्यापन वाहनों एवं ईधन की आपूर्ति एवं तद्सम्बन्धी पंजिका का रख–रखाव, वाहनों की लॉक बुक का सत्यापन, समस्त पटलों से व्यवहृत पत्रावलियों की समीक्षा/क्रय समिति के सदस्य सम्बन्धी कार्य। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा बताये जाने वाले अन्य समस्त कार्य जो प्राधिकरण के संचालन हेतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से तात्कालीक महत्व के हैं सम्बन्धी कार्य। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
2	लेखाकार	1. लेखा प्रभाग के अन्तर्गत लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य/लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के मूल पदीय दायित्वों के निवर्हन के साथ। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

3	प्रधान सहायक	1. प्राधिकरण के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य (यथा–नियमित तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी कार्य/सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0, एन0पी0एस0 पुस्तिकाओं का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य/विशेषज्ञों की तैनाती एवं अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य/उपनल एवं पी0आर0डी0 कार्मिकों की तैनाती एवं अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य/लोक सभा, राज्य सभा एवं विधान सभा प्रश्नों सम्बन्धी कार्य। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायती सम्बन्धी समस्त प्रकरण। 4. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
4	वरिष्ठ सहायक	1. समस्त कार्मिकों, विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण सम्बन्धी कार्य। 2. विभिन्न प्रकार के बीजकों के भुगतान सम्बन्धी कार्य। 3. IFMS Portal पर Bill Generation सम्बन्धी कार्य। 4. आहरण–वितरण अधिकारी के साथ सम्बद्ध होकर विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु कोषागार को बिलों के अग्रसारण सम्बन्धी कार्य। 5. कोषागार से समन्वय सम्बन्धी कार्य। 6. प्राधिकरण के ऑडिट के अवसर पर लेखा प्रभाव को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये लेखाकार एवं वित्त नियंत्रक द्वारा बताये गये कार्य। 7. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त नियंत्रक, लेखाकार एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 8. सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन। 9. E-Tender पर Gem Portal सम्बन्धी कार्य। 10. CM Help line सम्बन्धी कार्य। 11. प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त वादों एवं शासन स्तर से प्राधिकरण को संन्दर्भित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वादों के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद की पृथक–पृथक पत्रावलियॉ खोलते हुये वादो का संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार नेरेटिव तैयार किया जाना। 12. ओथ आदि की कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना। 13. वादों के सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत करते हुये इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही एवं मा0 न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों को चैक करते हुये वस्तुस्थिति/अपडेट से उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने हेत पत्रावली प्रस्तुत किया जाना। 14. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 15. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
5	सहायक लेखाकार	पद रिक्त (लोक सेवा आयोग से चयन की कार्यवाही गतिमान)
6	रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर	1. रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर 2. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

7	कनिष्ठ सहायक	1. अधिप्राप्ति सम्बन्धी समस्त कार्य/वाहनों का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य। अधिप्राप्ति के उपरान्त प्राप्त बीजकों का सत्यापन कराते हुये भुगतान हेतु लेखा को प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्य । 2. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
8	डाटा इन्ट्री आपरेटर (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. प्राधिकरण के लेखा प्रभाग में सम्बन्ध होकर, लेखाकार एवं वित्त अधिकारी के नियंत्रण में लेखा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करेंगे। 2. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त नियंत्रक, लेखाकार एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
9	तकनीकी सहायक (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
10	निजी सहायक/स्टेनो	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सम्बद्ध
11	कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	प्राधिकरण में उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्यों का संचालन।
12	वाहन चालक	प्राधिकरण में उपलब्ध वाहन के साथ सम्बद्ध होकर वाहन चालन सम्बन्धी कार्य।
13	डाटा इन्ट्री आपरेटर (आउटसोर्स)	1. प्राधिकरण में यथा आवंटित शखा (प्रशासनिक, क्रियान्वन अथवा आपात परिचालन केन्द्र में से) में सम्बद्ध होकर मल्टी पर्पज वर्कर सम्बन्धी कार्यों का संचालन 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
14	मल्टी पर्पज वर्कर	1. प्राधिकरण में यथा आवंटित शखा (प्रशासनिक, क्रियान्वन अथवा आपात परिचालन केन्द्र में से) में सम्बद्ध होकर मल्टी पर्पज वर्कर सम्बन्धी कार्यों का संचालन 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
15	चौकीदार/ मल्टी पर्पज वर्कर	राजस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग को झाझरा, देहरादून में आंवटित भूमि के चौकीदारी/देख–रेख सम्बन्धी समस्त कार्य।
क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा		

1.	स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ	**1.** किसी प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना के दौरान आपदा ग्रस्त क्षेत्र व जन–मानस को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य। **2.** प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में तात्कालीक प्रभाव से एम्बुलैंस की व्यवस्था कराया जाना/एयर एम्बुलैंस की व्यवस्था कराये जाने सम्बन्धी कार्य। **3.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिला अस्पतालों एवं पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 से समन्वय स्थापित किया जाना सम्बन्धी कार्य। **4.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये जनपद अस्पतालों/मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थाओं से सम्पर्क/समन्वय बनाया जाना तथा बैड आरक्षित किये जाने सम्बन्धी कार्य। **5.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से प्रभावित उपचाराधीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुये मरिजों की हालात पर निगरानी रखना एवं इस सम्बन्ध में लगातार वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों से अपडेट करने सम्बन्धी कार्य। **6.** सामान्य दिवसों में चिकित्सा सम्बन्धित कार्यो के नियोजन (Planning) सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे। **7.** चार धाम/प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/महामारी के दौरान प्रभावित नागरिकों/परिवारों से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। **8.** उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा सम्बन्धी तैयारियों का विश्लेषण प्रस्तुत करना। **9.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
5.	अधिशासी निदेशक (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. 2. State level Training/Capacity Building/Seminar/Workshop (Planning & Execution) 3. भारत सरकार से समन्वयन 4. विधान सभा/लोक सभा/राज्य सभा प्रश्न 5. राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय व राज्य स्तर में तकनीकी संस्थानों से समन्वयन 6. तकनीकी मार्गदर्शन 7. आपदा सम्बन्धी रिर्पोटों का गठन एंव विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टो का अध्ययन कर सारगर्भित टिप्पणी के साथ उच्चाधिकारियो के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाना। 8. राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वयन 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

7.	कनिष्ट कार्यकारी / प्रभारी एस0ई0ओ0सी0 (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. Response and Rescue (Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers) सम्बन्धी कार्यो में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–कियान्वयन के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेगे। 2. SEOC को कार्यो का संचालन 3. आपदा सम्बन्धी दैनिक तथा तात्कालिक डाटा का संकलन व रिपोर्ट तैयार करना 4. SEOC के अन्तर्गत स्थापित सभी उपकरणों का सुचारू संचालन 5. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों से समन्वयन 6. NDRF, SDRF तथा अन्य प्रतिवादन एजेंसियो से समन्वयन 7. समस्त उच्च अधिकारियों को आपदा सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत कराना 8. SEOC में उच्च अधिकारियों व नोडल अधिकारियों की उचित व्यवस्था 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
8.	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	**1.** Assets Mapping in GIS environment सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगे। **2.** राज्य के समस्त विभागों के संसाधनों (Assest) की GIS Mapping **3.** USDMA तथा पूर्व में DMMC में तैयार GIS Data को एकीकृत करना। **4.** DRDP, DSS व IGPDRM में तैयार GIS Data को एकीकृत करना। **5.** GIS Data को सतर अद्यतीकृत करना। **6.** SEOC में प्राप्त आपदा की सूचनाओं को GIS मानचित्र पर प्रदर्शन **7.** IIRS, NRSC, ISRO तथा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य ज्ञतर की Space एजेंसियों से समन्वयन **8.** LIDAR व ड्रोन आधारित सर्वेक्षण **9.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
9.	भूवैज्ञानिक	1. Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 3. राज्य के समस्त भूस्खलन क्षेत्रों की सतत मनिटरिंग 4. भूस्खलन क्षेत्रों का अध्ययन कर आख्या तैयार करना 5. भूस्खलन क्षेत्रों का डाटावेस तैयार करते हुये GIS पर मानचित्रीकरण 6. GSI, Wadia, IIRS संस्थानों से भूस्खलन सम्बन्धित कार्यो में समन्वयन 7. NDMA द्वारा संचालित LRMS व Pilot Project on Masonry Construction का सम्पादन 8. SEOC में आपदा की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों के Photograph एकत्रित करना। 9. आपदा प्रभावित गांवों में पुर्नस्थापना की योजना तैयार करना। 10. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

10.	आई0आर0एस0 विशेषज्ञ	**1.** Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। **2.** Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। **3.** Response and Rescue (Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers) सम्बन्धी कार्यो में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–क्रियान्वयन के साथ सम्बद्ध हो कार्य करेगीं। **4.** Training/Capacity Building/Seminar/Workshop सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध हो कार्य करेगी। **5.** SEOC में आपदा की स्थिति में IRS के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थानों का GIS पर प्रदर्शन **6.** राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतिवादन एजेसिंयों के संसाधनों के डाटा बेस का संकलन व मानचित्रिकरण **7.** THDC के सहयोग से संकलित Flood Early Warning परियोजना का अनुश्रवण व संपादन। **8.** राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का डाटा बेस तैयार करना **9.** Mock Drills में GIS आधारित Application का उपयोग किया जाना। **10.** समस्त बॉध परियोजनाओं से समन्वय करते हुये डाटा को प्राप्त करना व IDMS से एकीकरण **11.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
11.	सिस्टम विशेषज्ञ	1. Hydromat Affairs सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Networking/IT/Software System सम्बन्धी समस्त कार्य। 3. IDMS सॉफ्टवेयर का सफल संचालन 4. IDMS को अद्यतीकृत रखते हुये उचित व्यवस्था 5. SEOC, USDMA में Pnternt तथा अन्य Software की उचित व्यवस्था। 6. ERSS (112) का SEOC में सफल संचालन 7. CAP का सफल संचालन 8. SEOC व USDMA में कम्प्यूटर System का रख–रखाव 9. NIC, ITDA तथा IT सम्बन्धित सभी एजेसिंयो से समन्वय 10. आपदा के दौरान SEOC में स्थापित सभी Hardware व Software का सफल संचालन 11. SEOC व USDMA में इन्टरनेट संचालन की व्यवस्था 12. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
12.	मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव	**1.** उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव सम्बन्धी कार्य करेंगें। **2.** एस0सी0ई0ओ0–क्रियान्वयन तथा श्री राहुल जुगरान, प्रभारी एस0ई0ओ0सी0 द्वारा समय–समय पर बताये गये समस्त कार्य। **3.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

13.	मौसम विशेषज्ञ	1. Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Hydromat Affairs सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 3. Hydrometorological डाटा का सतत अवलोकन करते हुये आपदा जोखिम का मूल्यांकन। 4. वर्षा तथा बाढ़ सम्बधी डाटा का संग्रहण 5. IMD, CWC, DGRE, IITM तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानों से समन्वयन 6. USDMA से द्वारा स्थापित मौसम उपकरणेां का अनुरपता 7. आपदा की स्थिति में SEOC में Hydrometorological Forcast/Nowcast तथा अन्य स्थितियों का GIS पर प्रदर्शन 8. CAP पर प्राप्त चेंतावयिों का विश्लेषण व सम्बन्धित अधिकारियों से प्रसारण हेतु समन्वयन 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1615/XVIII-B-1/21-03(02)/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्राधिकरण के क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा के अन्तर्गत सृजित पद क्रमशः सिविल एवं निर्माण विशेषज्ञ, परियोजना प्रबन्धक, भूकम्प विशेषज्ञ, सिस्टम विशेषज्ञ, जागरुकता एवं प्रचार विशेषज्ञ, मौसम विशेषज्ञ, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विशेषज्ञ, प्रभारी राज्य आपातकालीन केन्द्र के पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है।

जिला स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण :

अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (जिलाधिकारी) के कार्य एवं दायित्वः

1. जिलाधिकारी के अन्तर्गत आपदाओं की सूचना, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, क्रियान्वयन नियंत्रण एवं समन्वयन कार्यो को सुगमता से सम्पन्न करने हेतु एक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।
2. जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को जिला आपदा प्रबन्धन समिति एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से तैयार करना तथा समय–समय पर इसकी सूचनाओं को अध्ययन करना।
4. परस्पर सहायता एवं सहयोग करने वाली समितियों, क्रियाशील समूहों को गठित करने को प्रोत्साहन देना, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना।
5. जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय विभाग स्थलीय कार्य हेतु परस्पर समन्वयन एवं आदान–प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह क्रम पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण चेतावनी, राहत, सामान्य स्थिति एवं पुनर्वास तक जारी रहेगा।
6. आपदा स्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य करने होंगे।
7. जिलाधिकारी, जिला नियन्त्रण कक्ष के स्थायी अंग होंगे।
8. आपदा स्थल–स्थान परिचालन (साइट ऑपरेशन सेंटर) केन्द्र जिलाधिकारी की सहायता करेंगे।

10. जिलाधिकारी से स्थलीय अनुक्रिया केन्द्र समन्वयन करते रहेंगे जैसे ट्रान्जिट कैम्प, राहत कैम्प, भोजन केन्द्र तथा पशुआश्रय स्थल आदि।

11. विभिन्न आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन परिचालन समूह (डी0ई0ओ0जी0) गठित होगा जो नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में आवश्यक व्यवस्थायें करेंगे।

12. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपातकालिन परिचालन केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन0डी0एम0ए0), भारत सरकार द्वारा निर्गत Incedent Response System (IRS) के अनुरूप आपातकालीन परिस्थति में कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–3

3– विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

आपदा की परिस्थितियों में राज्य कार्यकारी समिति के कार्य व शक्तियाँ (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 24)

1. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात (vehicular traffic) नियंत्रित (control) व प्रतिबन्धित (prohibition) करना
2. आपदा संभावित या आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तियों के आवागमन पर नियंत्रण या प्रतिबन्ध
3. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य सम्पादित करना
4. राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावितों के लिये शरण/आश्रय (shelter), भोजन, पेयजल, आवश्यक सामग्रियों/वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं की व्यवस्था
5. सम्बन्धित विभागों व अन्य को जान–माल बचाने के उद्देश्य से खोज, बचाव, निकासी एवं तत्कालिक राहत (immediate relief) सम्बन्धित निर्देश
6. आपातकालीन प्रतिवादन (response)] राहत एंव बचाव कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के उद्देश्य से संसाधनों को उपलब्ध करवाये जाने सम्बन्धित निर्देश
7. राहत एवं बचाव (relief & rescue) कार्यो के प्रभावी सम्पादन के लिये विशेषज्ञों का परामर्श लिया जाना
8. प्राथमिकता के आधार पर किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय (purchase)
9. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण व जन सुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त किया जाना (demolish)
10. सुनिश्चित करना कि स्वयं सेवी संस्थायें (non-governmental organisations) उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव (discrimination) न करें
11. आपदा या आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये आवश्यक सूचनाओं का प्रचार–प्रसार (dissemination)
12. राज्य या केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप आपदा की स्थिति में वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्य महत्वपूर्ण कृत्यः

1. आंकड़ों का संग्रह तथा शोध

(क) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आपदा तथा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर आंकड़े संग्रह करने या संग्रह करवाने के लिए उचित कार्यवाही

करेगा, ऐसे आंकड़ों का विश्लेषण करेगा तथा एसे शोध ओर अध्ययन करेगा व करवायेगा जिनका सम्बन्ध घटनाओं के भावी प्रभाव से हो, जिनके परिणामस्वरूप आपदा हो सकती है तथा यह भी कि इन आपदाओं का किस प्रकार निवारण, प्रबंधन व न्यूनीकरण किया जाय;

(ख) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसी व्यक्ति से ऐसे अवधि के भीतर जैसे सूचना में विनीदृष्ट हो लिखित सूचना देकर ऐसी सूचना अपेक्षित करवा सकता है जो कि उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए उपयोगी हो।

2. सूचना का भंडारणः

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदाओं तथा आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित सूचनाओं के भंडारक के रूप में कार्य करेगा, तथाः–

(क) राज्य में संचार माध्यमों की स्थापना तथा आपात संचार व पूर्व चेतावनी प्रणाली का स्थान सुनिश्चित करेगा;

(ख) आपदा प्रबंधन परिचालन हेतु अपेक्षित सूचनाओं का सूचना–संग्रह (डाटा बेस) अनुरक्षित करेगा;

(ग) प्राधिकरण की भॉति ही कार्य कर रहे अन्य संस्थानों सहित भारत तथा अन्य देशों के आपदा प्रबंधन अभिकरणों के साथ संचार माध्यम स्थापित करना सुनिश्चित करेगा;

(घ) सूचना आदान–प्रदान तथा आपदा प्रबंधन पर अर्न्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों तक पहुॅच सुनिश्चित करेगा।

3. आपदा प्रबंधन योजनायेंः

(अ) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा महायोजनाओं तथा युक्तियों की तैंयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्वान्त विकसित करेगा या करवायेगा तथा उन्हें अदयतन रखेगा तथा सरकार के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों की सहायता करेगा जैसे कि योजनाओं तथा युक्तियों की तैयारी में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो तथा उन्हें समन्वित करेगा;

(आ) उप धारा (1) के अधीन योजना तैंयार करते समय योजना तैयार करने वाला अभिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये योजना में समुचित व्यवस्थायें करेगा, अर्थात–

(क) उन आपदाओं का प्रकार जो कि घटित हो सकती है और उनके सम्भावित प्रभाव;

(ख) वे समुदाय तथा सम्पत्ति जिन पर खतरा हो;

(ग) समुचित निवारण तथा न्यूनीकरण युक्तियों हेतु उपबन्ध;

(घ) आपदा से निपटने में अक्षमता तथा क्षमता निर्माण को बढ़ावा;

(ड़) आपदा निवारण के लिये युक्तियों का एकीकरण तथा राज्य में विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों द्वारा इसके प्रभावों का न्यूनीकरण;

(च) प्रकृति के आंकलन हेतु उपबन्ध तथा आपदा के प्रभावो की विशालता;

(छ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विषय;

(झ) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के लिये एक महा योजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा उसका अनुरक्षण करेगा;

4. विभागीय मानक प्रचालन कार्य विधियां (Standard Operating System)

आपदा की स्थिति में प्रतिवादन हेतु प्रमुख विभागों (पुलिस, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि, जल संस्थान, परिवहन एवं पशुपालन विभाग) द्वारा कार्यो के प्रभारी सम्पादन के लिए विभिन्न विभागों मानक प्रचालन तैयार की गयी हैं तथा समय–समय पर उपरोक्त कार्यविधियों को अद्यतन भी किया जा रहा है।

5. जागरूकता तथा तैयारी :

(अ) उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जागरूकता तथा तैयारी को बढ़ावा देगा या दिलवायेगा तथा सम्भावित आपदा से निपटने के लिये समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स की क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से समुदाय तथा स्टेकहोल्डर्स को निम्न विषयों पर सलाह देगा और उन्हें प्रशिक्षित करेगाः

(क) इस निमित्त मार्गदर्शक सिद्वान्त तथा संस्तुतियों के प्रकाशन द्वारा;

(ख) अपने इलैक्ट्रोनिक सूचना सामग्री आधार तक सुगम पहुॅच द्वारा;

(ग) आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण के उत्थान तथा समुदाय व अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा;

(घ) आपदाओं की भेद्यता में कमी के लिये कार्यविधि विकसित करने में सहायता द्वारा;

(ड) विकास योजनाओं कार्यक्रमों तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों द्वारा जागरूकता व तैयारी के लिये कार्यविधि के एकीकरण में समन्वय द्वारा;

तथा

(च) इस निमित्त जैसा उचित समझे वैसे किसी अन्य तरीके से कार्य द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसा वह आवश्यक समझे, आपदा की तैयारी के लिये बीमे सहित, खतरा स्थानान्तरित करने के यंत्र जाल से सम्बन्धित वैसी नीतियॉ बनायेगा तथा उन्हें क्रियान्वित करेगा या करवायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–4

1– कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कृत्य

1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य, जनपद व स्थानीय निकायों एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यो के मध्य समन्वयन
2. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA)] राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee), राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) व जनपद प्राधिकरणों को सहयोग व सहायता
3. भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों पर उनके द्वारा वांछित या आवश्यक सहयोग व सहायता उपलब्ध करवाना
4. राज्य व जनपद योजनाओं में प्रयुक्त व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार के विभागों द्वारा वांछित या आवश्यक सहयोग व सहायता उपलब्ध करवाना
5. राज्य व जनपद योजनाओं में प्रयुक्त व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, क्षमता विकास एवं पूर्व तैयारी उपायों के क्रियान्वयन हेतु आर्थिक सहयोग व बजट व्यवस्था
6. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विभागीय विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उपायों का समावेश सुनिश्चित करवाना
7. राज्य की विकास योजनाओं में आपदा संवेदनशीलता न्यूनीकरण (disaster vulnerability reduction) हेतु आवश्यक उपायों का समावेश
8. राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनाओं का विकास सुनिश्चित करवाना
9. आपदा संवेदनशील जनसमुदाय के स्तर तक चेतावनी प्रसारण की समुचित व्यवस्था कराना
10. सुनिश्चित किया जाना कि राज्य सरकार के विभागों एवं जनपद प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त पूर्व तैयारी व्यवस्थायें की जायें
11. सुनिश्चित किया जाना कि आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रतिवादन (response)] राहत एवं बचाव (relief and rescue) हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संसाधन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या राज्य कार्यकारी समिति या जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाये जायें
12. आपदा प्रभावितों के लिये पुनर्वास (rehabilitation) व पुनर्निर्माण (reconstruction) सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना
13. आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक अन्य कार्यो का सम्पादन

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियाँ व कृत्य

1. जनपद प्रतिवादन योजना (response plan) को समावेशित करते हुये जनपद आपदा

प्रबन्धन योजना का विकास

2. राष्ट्रीय नीति (policy), राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं (plans) के क्रियान्वयन (implementation) हेतु समन्वयन (coordianation) व परिवीक्षण (monitoring)
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं प्रतिवादन (response) हेतु निर्गत मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन (implementation) के स्तर का अनुश्रवण (monitoring)
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकी सहायता
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन (implementation) सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण (monitoring)
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं (capacity) की समीक्षा (review) व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण (upgradation) हेतु दिशा–निर्देश
11. पूर्व तैयारी (preparedness) के स्तर की समीक्षा (review) एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वंय सेवी बचाव कार्मिकों (voluntary rescue workers) के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों (specialized training programmes) का आयोजन
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों (community training and awareness programmes) का आयोजन
14. आपदा चेतावनी तंत्र (warning mechanism) व जन सूचना तंत्र (public information system) विकसित किया जाना एवं इसका रख–रखाव व उच्चीकरण
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन (response) योजना व मार्गनिर्देशिकाओं (guidelines) का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण
16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन (response) कार्यो का समन्वयन (coordination)
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन (response) योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये

18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन (response) सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एंव जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश
19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यो में समन्वयन
20. आपदा रोकथाम (prevention) एवं न्यूनीकरण (mitigation) उपायों के त्वरित (prompt) एवं प्रभावी (effective) क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा–निर्देश
21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना
22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा (review)
23. आपदा सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण (inspection) एवं मानकों की अवहेलना (non-compliance) पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश
24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एवं इनमें पानी, साफ–सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना
25. राहत व बचाव सामग्रियों का भंडारण या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं (social welfare institutions) को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यो के लिये प्रोत्साहित करना
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र (communication systems) कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अभ्यास किये जा रहे हैं
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यो का सम्पादन

आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध
3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में व्यक्तिओं के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध
4. मलबा हटाना, खोज एवं बचाव कार्य

5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुरूप वांछित सामग्री की आपूर्ति
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (demolish) किया जाना
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एवं वांछित अन्य कार्यो का सम्पादन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–5

5– अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सेवा नियमावली पर कार्यवाही गतिमान है। कार्यावंटन आदेश संख्या– 1061/USDMA-E61080 (2023, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के द्वारा जारी निर्देशानुसार प्राधिकरण के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्वहन निम्नानुसा किया जाता है:–

क्र.स	नाम/ पदनाम	कार्य–दायित्व
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य सचिव)	पदेन
2.	प्रमुख सचिव/सचिव	पदेन
3.	अपर सचिव/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)	पदेन
4.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन)	**Response and Rescue** **(Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers)** **-Field Training & Capacity Building (Planning & Execution)** **-IRS, IDRN, Prepration of SOPs, Mock Drills, Prepration of Sendai framwork** **-Execution of IDMS & EWS** **-Co-ordination with other team leaders** **-Reports Prepration & Presentation to relief Commissioner**
5.	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1. अधिष्ठान सम्बन्धित कार्य, कोर्ट केस, आर0टी0आई0, अधियाचन, विधानसभा प्रश्न, यू0एस0डी0एम0ए0 कार्यालय का संचालन सम्बन्धी समस्त कार्य, कार्मिकों की नियुक्ति तैनाती, रिक्त पदों का विज्ञापन, शासन से समय–समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं सम्बन्धी कार्य, वाहनों का रख–रखाव तथा लॉग बुक सत्यापन सम्बन्धी कार्य, कार्यालय संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्य, रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर से सम्बन्धित कार्य, E-Office, E- File Generation & E-Record Keeping के अनुश्रवण सम्बन्धी कार्य आदि ऐसे समस्त कार्य जो प्राधिकरण के संचालन हेतु प्रशासनिक कार्यो के क्षेत्र में आते हैं। 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

6.	**वित्त अधिकारी**	**1.** यू.एस.डी.एम.ए./यू.एल.एम.एम.सी. में तैनात समस्त अधिकारियों/विशेषज्ञों/कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी कार्य, बजट की मांग करना/अनुपूरक बजट मांग सम्बन्धी कार्य, कोषागार एवं टैली से सम्बन्धित कार्य, विभिन्न पत्रावलियों पर वित्तीय परामर्श सम्बन्धी कार्य, महालेखाकार से सम्बन्धित कार्य, ऑडिट से सम्बन्धित कार्य, अधिप्राप्ति नियमावली से सम्बन्धित कार्य, परियोजनाओं के बजट एवं आय–व्यय से सम्बन्धी कार्य, World Bank परियोजना के बजट का कोषागार सम्बन्धी कार्य, SDRF/ SDMF, CSR एवं PM Care Fund मद में प्राप्त धनराशि तथा आय–व्यय सम्बन्धी कार्य, Chartered Accountant के कार्यो का पर्यवेक्षण, उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धी कार्य, Tally एवं IFMS सम्बन्धी समस्त कार्य, बिल–वाउचरों का रख–रखाव, टी0डी0एस0/जी0एस0टी0 कटौती का चलान तैयार कर निर्धारित समयान्तर्गत किया जाना, विभिन्न बैंक खातों का बैंक Reconciled तैयार करना तथा अन्य ऐसे समस्त कार्य जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, आदि वित्तीय मामलें सम्बन्धी कार्य। **2.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
	प्रशासनिक शाखा	
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1. प्राधिकरण के अन्तर्गत सृजित तीनों शाखाओं यथा प्रशासनिक, कियान्वयन एवं कन्ट्रोल रूप में कार्यो का पर्यवेक्षण/बायोमैट्रिक्स उपस्थिति का निरीक्षण व उच्च स्तर पर प्रस्तुत करना/लोक सूचना अधिकारी के पद दायित्वों का निवर्हन/नोडल अधिकारी मा0 न्यायालय वाद सम्बन्धित पत्रावलियों एवं बीजक के भुगतान हेतु/बीजकों का सत्यापन वाहनों एवं ईधन की आपूर्ति एवं तद्सम्बन्धी पंजिका का रख–रखाव, वाहनों की लॉक बुक का सत्यापन, समस्त पटलों से व्यवहृत पत्रावलियों की समीक्षा/क्रय समिति के सदस्य सम्बन्धी कार्य। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा बताये जाने वाले अन्य समस्त कार्य जो प्राधिकरण के संचालन हेतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से तात्कालीक महत्व के हैं सम्बन्धी कार्य। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
2	लेखाकार	1. लेखा प्रभाग के अन्तर्गत लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य/लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के मूल पदीय दायित्वों के निवर्हन के साथ। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

3	प्रधान सहायक	1. प्राधिकरण के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य (यथा–नियमित तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी कार्य/सेवा पुस्तिका एवं जी0पी0एफ0, एन0पी0एस0 पुस्तिकाओं का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य/विशेषज्ञों की तैनाती एवं अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य/उपनल एवं पी0आर0डी0 कार्मिकों की तैनाती एवं अनुबन्ध सम्बन्धी कार्य/लोक सभा, राज्य सभा एवं विधान सभा प्रश्नों सम्बन्धी कार्य। 2. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायती सम्बन्धी समस्त प्रकरण। 4. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
4	वरिष्ठ सहायक	1. समस्त कार्मिकों, विशेषज्ञों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण सम्बन्धी कार्य। 2. विभिन्न प्रकार के बीजकों के भुगतान सम्बन्धी कार्य। 3. IFMS Portal पर Bill Generation सम्बन्धी कार्य। 4. आहरण–वितरण अधिकारी के साथ सम्बद्ध होकर विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु कोषागार को बिलों के अग्रसारण सम्बन्धी कार्य। 5. कोषागार से समन्वय सम्बन्धी कार्य। 6. प्राधिकरण के ऑडिट के अवसर पर लेखा प्रभाव को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये लेखाकार एवं वित्त नियंत्रक द्वारा बताये गये कार्य। 7. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त नियंत्रक, लेखाकार एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 8. सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन। 9. E-Tender पर Gem Portal सम्बन्धी कार्य। 10. CM Help line सम्बन्धी कार्य। 11. प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त वादों एवं शासन स्तर से प्राधिकरण को संन्दर्भित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वादों के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद की पृथक–पृथक पत्रावलियॉ खोलते हुये वादो का संक्षिप्त इतिहास एवं प्रस्तरवार नेरेटिव तैयार किया जाना। 12. ओथ आदि की कार्यवाही सम्पन्न कराया जाना। 13. वादों के सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत करते हुये इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही एवं मा0 न्यायालय से पारित होने वाले आदेशों को चैक करते हुये वस्तुस्थिति/अपडेट से उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने हेत पत्रावली प्रस्तुत किया जाना। 14. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 15. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
5	सहायक लेखाकार	पद रिक्त (लोक सेवा आयोग से चयन की कार्यवाही गतिमान)
6	रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर	1. रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर 2. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

7	कनिष्ठ सहायक	4. अधिप्राप्ति सम्बन्धी समस्त कार्य/वाहनों का रख–रखाव सम्बन्धी कार्य। अधिप्राप्ति के उपरान्त प्राप्त बीजकों का सत्यापन कराते हुये भुगतान हेतु लेखा को प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्य । 5. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 6. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
8	डाटा इन्ट्री आपरेटर (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. प्राधिकरण के लेखा प्रभाग में सम्बन्ध होकर, लेखाकार एवं वित्त अधिकारी के नियंत्रण में लेखा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करेंगे। 2. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त नियंत्रक, लेखाकार एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 3. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
9	तकनीकी सहायक (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. विविध प्रकार के कार्य जो समय–समय पर संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशसानिक अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये कार्यो का सम्पादन। 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
10	निजी सहायक/स्टेनो	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सम्बद्ध
11	कार्यालय सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	प्राधिकरण में उच्चाधिकारियों द्वारा आवंटित कार्यों का संचालन।
12	वाहन चालक	प्राधिकरण में उपलब्ध वाहन के साथ सम्बद्ध होकर वाहन चालन सम्बन्धी कार्य।
13	डाटा इन्ट्री आपरेटर (आउटसोर्स)	1. प्राधिकरण में यथा आवंटित शखा (प्रशासनिक, क्रियान्वन अथवा आपात परिचालन केन्द्र में से) में सम्बद्ध होकर मल्टी पर्पज वर्कर सम्बन्धी कार्यों का संचालन 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
14	मल्टी पर्पज वर्कर	1. प्राधिकरण में यथा आवंटित शखा (प्रशासनिक, क्रियान्वन अथवा आपात परिचालन केन्द्र में से) में सम्बद्ध होकर मल्टी पर्पज वर्कर सम्बन्धी कार्यों का संचालन 2. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
15	चौकीदार/ मल्टी पर्पज वर्कर	राजस्व विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग को झाझरा, देहरादून में आंवटित भूमि के चौकीदारी/देख–रेख सम्बन्धी समस्त कार्य।
क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा		

1.	स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ	**1.** किसी प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना के दौरान आपदा ग्रस्त क्षेत्र व जन–मानस को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य। **2.** प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में तात्कालीक प्रभाव से एम्बुलैंस की व्यवस्था कराया जाना/एयर एम्बुलैंस की व्यवस्था कराये जाने सम्बन्धी कार्य। **3.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित जिला अस्पतालों एवं पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 से समन्वय स्थापित किया जाना सम्बन्धी कार्य। **4.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये जनपद अस्पतालों/मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थाओं से सम्पर्क/समन्वय बनाया जाना तथा बैड आरक्षित किये जाने सम्बन्धी कार्य। **5.** प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से प्रभावित उपचाराधीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुये मरिजों की हालात पर निगरानी रखना एवं इस सम्बन्ध में लगातार वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों से अपडेट करने सम्बन्धी कार्य। **6.** सामान्य दिवसों में चिकित्सा सम्बन्धित कार्यो के नियोजन (Planning) सम्बन्धी समस्त कार्य करेंगे। **7.** चार धाम/प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/महामारी के दौरान प्रभावित नागरिकों/परिवारों से सम्बन्धित आंकड़ों का विश्लेषण तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। **8.** उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा सम्बन्धी तैयारियों का विश्लेषण प्रस्तुत करना। **9.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
5.	अधिशासी निदेशक (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. 2. State level Training/Capacity Building/Seminar/Workshop (Planning & Execution) 3. भारत सरकार से समन्वयन 4. विधान सभा/लोक सभा/राज्य सभा प्रश्न 5. राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय व राज्य स्तर में तकनीकी संस्थानों से समन्वयन 6. तकनीकी मार्गदर्शन 7. आपदा सम्बन्धी रिर्पोटों का गठन एंव विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टो का अध्ययन कर सारगर्भित टिप्पणी के साथ उच्चाधिकारियो के अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाना। 8. राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वयन 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

7.	कनिष्ट कार्यकारी / प्रभारी एस0ई0ओ0सी0 (शासनादेश संख्या–1586/XVIII-(2)/2019-01(26)2007 T.C.-1, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा सेवा स्थानान्तरित)	1. Response and Rescue (Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers) सम्बन्धी कार्यो में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–कियान्वयन के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेगे। 2. SEOC को कार्यो का संचालन 3. आपदा सम्बन्धी दैनिक तथा तात्कालिक डाटा का संकलन व रिपोर्ट तैयार करना 4. SEOC के अन्तर्गत स्थापित सभी उपकरणों का सुचारू संचालन 5. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों से समन्वयन 6. NDRF, SDRF तथा अन्य प्रतिवादन एजेंसियो से समन्वयन 7. समस्त उच्च अधिकारियों को आपदा सम्बन्धित सूचनाओं से अवगत कराना 8. SEOC में उच्च अधिकारियों व नोडल अधिकारियों की उचित व्यवस्था 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
8.	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	**1.** Assets Mapping in GIS environment सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगे। **2.** राज्य के समस्त विभागों के संसाधनों (Assest) की GIS Mapping **3.** USDMA तथा पूर्व में DMMC में तैयार GIS Data को एकीकृत करना। **4.** DRDP, DSS व IGPDRM में तैयार GIS Data को एकीकृत करना। **5.** GIS Data को सतर अद्यतीकृत करना। **6.** SEOC में प्राप्त आपदा की सूचनाओं को GIS मानचित्र पर प्रदर्शन **7.** IIRS, NRSC, ISRO तथा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य ज्ञतर की Space एजेंसियों से समन्वयन **8.** LIDAR व ड्रोन आधारित सर्वेक्षण **9.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
9.	भूवैज्ञानिक	1. Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 3. राज्य के समस्त भूस्खलन क्षेत्रों की सतत मनिटरिंग 4. भूस्खलन क्षेत्रों का अध्ययन कर आख्या तैयार करना 5. भूस्खलन क्षेत्रों का डाटावेस तैयार करते हुये GIS पर मानचित्रीकरण 6. GSI, Wadia, IIRS संस्थानों से भूस्खलन सम्बन्धित कार्यो में समन्वयन 7. NDMA द्वारा संचालित LRMS व Pilot Project on Masonry Construction का सम्पादन 8. SEOC में आपदा की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों के Photograph एकत्रित करना। 9. आपदा प्रभावित गांवों में पुर्नस्थापना की योजना तैयार करना। 10. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

10.	आई0आर0एस0 विशेषज्ञ	**1.** Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। **2.** Technical Investigation/PDNA/Coordination with State/Central Government and Organizations/External Agency regard. सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। **3.** Response and Rescue (Volunteers, SDRF, NDRF, DDMA, Master Trainers) सम्बन्धी कार्यो में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–क्रियान्वयन के साथ सम्बद्ध हो कार्य करेगीं। **4.** Training/Capacity Building/Seminar/Workshop सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 पीयूष रौतेला के साथ सम्बद्ध हो कार्य करेगी। **5.** SEOC में आपदा की स्थिति में IRS के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थानों का GIS पर प्रदर्शन **6.** राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतिवादन एजेसिंयों के संसाधनों के डाटा बेस का संकलन व मानचित्रिकरण **7.** THDC के सहयोग से संकलित Flood Early Warning परियोजना का अनुश्रवण व संपादन। **8.** राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का डाटा बेस तैयार करना **9.** Mock Drills में GIS आधारित Application का उपयोग किया जाना। **10.** समस्त बॉध परियोजनाओं से समन्वय करते हुये डाटा को प्राप्त करना व IDMS से एकीकरण **11.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
11.	सिस्टम विशेषज्ञ	1. Hydromat Affairs सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Networking/IT/Software System सम्बन्धी समस्त कार्य। 3. IDMS सॉफ्टवेयर का सफल संचालन 4. IDMS को अद्यतीकृत रखते हुये उचित व्यवस्था 5. SEOC, USDMA में Pnternt तथा अन्य Software की उचित व्यवस्था। 6. ERSS (112) का SEOC में सफल संचालन 7. CAP का सफल संचालन 8. SEOC व USDMA में कम्प्यूटर System का रख–रखाव 9. NIC, ITDA तथा IT सम्बन्धित सभी एजेसिंयो से समन्वय 10. आपदा के दौरान SEOC में स्थापित सभी Hardware व Software का सफल संचालन 11. SEOC व USDMA में इन्टरनेट संचालन की व्यवस्था 12. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।
12.	मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव	**1.** उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव सम्बन्धी कार्य करेंगें। **2.** एस0सी0ई0ओ0–क्रियान्वयन तथा श्री राहुल जुगरान, प्रभारी एस0ई0ओ0सी0 द्वारा समय–समय पर बताये गये समस्त कार्य। **3.** अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

13.	मौसम विशेषज्ञ	1. Projects with external Agency/ Ministries/ Centre Organisation सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 2. Hydromat Affairs सम्बन्धी कार्यो में डॉ0 गिरिश चन्द्र जोशी के साथ सम्बद्ध होकर कार्य करेंगी। 3. Hydrometorological डाटा का सत्त अवलोकन करते हुये आपदा जोखिम का मूल्यांकन। 4. वर्षा तथा बाढ़ सम्बधी डाटा का संग्रहण 5. IMD, CWC, DGRE, IITM तथा अन्य सम्बन्धित संस्थानों से समन्वयन 6. USDMA से द्वारा स्थापित मौसम उपकरणेां का अनुरपता 7. आपदा की स्थिति में SEOC में Hydrometorological Forcast/Nowcast तथा अन्य स्थितियों का GIS पर प्रदर्शन 8. CAP पर प्राप्त चेंतावयिों का विश्लेषण व सम्बन्धित अधिकारियों से प्रसारण हेतु समन्वयन 9. अन्य समस्त कार्य जो उच्च स्तर से समय–समय पर सौंपे जायें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पास उपलब्ध दस्तावेजों का विवरणः

क्र0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम
1	**अधिष्ठान**	1. सेवा पुस्तिकाएं 2. सेवा नियम 3. वेतन–निर्धारण पत्रावली 4. वाहनों की लॉग बुक/पंजिका 5. स्टॉक पंजिका 6. उपस्थिति पंजिका 7. पत्र प्राप्ति पंजिका 8. पत्र प्रेषण पंजिका 9. रिकॉर्ड पंजिका
2	**लेखा अनुभाग**	1. वेतन–अभिलेख 2. ऑडिट सम्बन्धी पत्रावली 3. बजट पत्रावली 4. 11–सी पंजिका 5. कोषागार पंजिका

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत नीति संरचना या उसके कार्यान्वयन के अन्तर्गत आपदा की स्थिति में बचाव के सम्बन्ध में जागरुकता हेतु मॉक ड्रिल आदि के माध्यम से जनता में प्रचार–प्रसार किया जाता है, जिसमें जनसहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53, वर्ष 2005) की धारा 14 की उप धारा (2) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर ''उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' की स्थापना की गयी है, जिसकी संरचना निम्नानुसार हैः–

1. मा0 मुख्यमन्त्री – अध्यक्ष (पदेन)
2. मा0 आपदा प्रबन्धन मन्त्री – उपाध्यक्ष
3. मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री – सदस्य
4. मा0 पेयजल एवं सिंचाई मन्त्री – सदस्य
5. मा0 परिवहन मन्त्री – सदस्य
6. मा0 ग्राम्य विकास मन्त्री – सदस्य
7. राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव) – सदस्य एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन)
8. प्रमुख सचिव (वित्त) – सदस्य
9. प्रमुख सचिव (आपदा प्रबन्धन) – सदस्य

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53, वर्ष 2005) की धारा 25 की उप धारा (1) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है, जिसकी संरचना निम्नानुसार हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट – अध्यक्ष
2. जिला पंचायत अध्यक्ष – सहअध्यक्ष
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
4. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
5. प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/अपर जिला मजिस्ट्रेट– सदस्य/मुख्य अधिशासी अधिकारी
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता (लो0नि0वि0) – सदस्य

जनपद के समस्त विधायकगण, प्राधिकरण की बैठकों में विशिष्ट आमन्त्री होंगे और यथा आवश्यकता, प्राधिकरण की बैठकों में निम्नांकित को भी आमंन्त्रित किया जा सकेगाः–

1. जिला पूर्ति अधिकारी
2. परिवहन विभाग के नियत प्रभारी अधिकारी
3. अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई विभाग)
4. अन्य अधिकारी, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष उचित समझें

उक्त के अतिरिक्त राज्य में घटित होने वाली आपदाओं की स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान व सम्बन्धित विभागों व प्रतिवादन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं के मध्य समन्वयन के लिए राज्य आपताकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC) की स्थापना प्राधिकरण के नियन्त्राणाधीन की गयी है।

9– अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत अधिकारियों की निर्देशिका निम्नवत् हैः

1. **डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा**
   सचिव।
   दूरभाष नम्बर– 0135 2659850 (कार्या0)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री पंकज कुमार सैनी	वरिष्ठ निजी सचिव

2. **श्री सविन बंसल**
   अपर सचिव/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)
   दूरभाष नम्बर– 0135 2712027 (कार्या0)

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	श्री वाणी विलास उनियाल	वरिष्ठ निजी सचिव

.3. **श्री राजकुमार नेगी** (DIG)
   अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन)
   मोबाईल नम्बर– 7895356553

4. **मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी**
   संयुक्त कार्यकारी अधिकारी
   मोबाईल नम्बर– 9927699151

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–10

10– प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है :–

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून में कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	कार्यरत अधिकारी का नाम	अभ्युक्ति	वेतनमान
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री सुखबीर सिंह संधू (IAS)	मुख्य सचिव पदेन	संवर्गानुसार
2	सचिव	डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा (IAS)	प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन पदेन	संवर्गानुसार
3	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासनिक)	श्री सविन बंसल (IAS)	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन पदेन	संवर्गानुसार
4	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन)	श्री राजकुमार नेगी (BSF)	भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग से (वेतनमान ग्रेड वेतन रू0 8700) प्रतिनियुक्ति के आधार पर	संवर्गानुसार
5	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी	कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्त (राज्य सिविल सेवा से न्यूनतम ग्रेड वेतन– 6600/–)	संवर्गानुसार
6	वित्त अधिकारी	श्री हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार	वित्त विभाग द्वारा नियुक्त	संवर्गानुसार
प्रशासनिक शाखा				
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	श्री राकेश मोहन खंकरियाल	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	लेवल–8
2	प्रधान सहायक	श्री देवेन्द्र कुमार डौंडिया	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	लेवल–6
3	वरिष्ठ सहायक	1. श्री अमित बहुगुणा 2. श्री अखिलेश चन्द्र जुयाल	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	लेवल–5

4	कनिष्ठ सहायक	1. श्री धीरज पाल 2. श्री अमित कुमार 3. श्री सुशान्त ममगाईं	सीधी भर्ती	लेवल–3
5	लेखाकार	श्री सत्येन्द्र सिंह	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	लेवल–6
6	सहायक लेखाकार	रिक्त	चयन की कार्यवाही गतिमान	लेवल–5
7	रिकार्ड कीपर कम स्टोर कीपर	श्री मयंक सैनी	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	लेवल–5
8	निजी सहायक/स्टेनों	श्री रेशम सिंह मियां	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार उच्च कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
9	कार्यालय सहायक/ कम्प्यूटर आपरेटर	1. श्री संजय बमराड़ा 2. श्री मुकेश यर्सो	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
10	वाहन चालक	1. श्री दिलबर सिंह 2. श्री राजू थापा	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
क्रियान्वयन एवं परियोजना शाखा				
1	स्वास्थ्य एवं सामाजिक मनोविज्ञान विशेषज्ञ	डा0 बिमलेश जोशी	प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात	संवर्गानुसार
1	सिविल एवं निर्माण विशेषज्ञ	श्री देवी दत्त डालाकोटी	संविदा के आधार पर तैनात	अनुबन्ध के अनुसार शासन/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय पर
3	परियोजना प्रबन्धक	रिक्त	संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है	तदैव
4	भू–वैज्ञानिक	सुश्री तन्द्रिला सरकार	संविदा के आधार पर तैनात	तदैव
5	भूकम्प विशेषज्ञ	रिक्त	संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है	तदैव
6	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	श्री रोहित कुमार	संविदा के आधार पर तैनात	तदैव
7	सिस्टम विशेषज्ञ	डॉ0 राकेश कुमार	संविदा के आधार पर तैनात	तदैव
8	जागरूकता एवं प्रचार विशेषज्ञ	रिक्त	संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है	तदैव
9	मौसम विशेषज्ञ	रिक्त	संविदा के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।	तदैव

10	प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विशेषज्ञ	कु0 जैसिका	संविदा के आधार पर तैनात	तदैव
11	आई0आर0एस0 विशेषज्ञ	डा0 वेदिका पन्त	संविदा के आधार पर तैनात	तदैव
12	जी0आई0एस0 आपरेटर	रिक्त	संविदा (प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है)	अनुबन्ध के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर
13	कार्यालय सहायक / कम्प्यूटर आपरेटर	1. श्रीमती तृप्ति बिष्ट 2. श्री प्रतिमन जंगपांगी 3. श्री नरेश कुमार 4. श्री दीपक रावत 5. श्री रोहित 6. श्री महेन्द्र नेगी	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
14	मास्टर ट्रेनर (खोज एवं बचाव)	1. श्री विजेन्द्र कपरवाण 2. सुश्री लक्ष्मी कण्डियाल 3. श्री जगमोहन सिंह 4. श्री अमित रांगण	संविदा के आधार	अनुबन्ध के अनुसार शासन द्वारा निर्धारि मानदेय पर
15	मल्टी पर्पज वर्कर	1. श्री वेदप्रकाश यादव 2. श्री विजय तिवारी 3. श्री नरेन्द्र कुमार 4. श्री दीपक कुमार 5. श्री विनोद कुमार 6. श्री चन्द्र प्रकाश	उपनल के माध्यम से तैनात उपनल के माध्यम से तैनात पीआरडी के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार अर्द्ध कुशल वर्ग को देय मानदेय पर एवं पी0आर0डी0 द्वारा दैनिक मानदेय पर
16	वाहन चालक	1. श्री सन्दीप चौहान 2. श्री राकेश कुमार	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (एस0ई0ओ0सी0)				
1	प्रभारी राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र	रिक्त	सीधी भर्ती / संविदा	लेवल–10
2	कार्यालय सहायक	1. श्री अखिल गुरूंग 2. सुश्री ममता नेगी 3. कु0 किरन	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
3	कम्प्यूटर आपरेटर	1. श्री पूरण सामन्त 2. श्री वीर सिंह	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर
4	मल्टी पर्पज वर्कर	1. श्री खुशी राम 2. श्री सिन्हा सिंह चौहान 3. श्री गौरव कुमार	पी0आर0डी0 के माध्यम से तैनात	पी0आर0डी0 द्वारा दैनिक मानदेय पर
5	वाहन चालक	1. श्री सुखबर थापा 2. श्री सन्दीप बोरा 3. श्री लोक बहादुर	उपनल के माध्यम से तैनात	उपनल के अनुसार कुशल वर्ग को देय मानदेय पर

डी0एम0एम0सी0 द्वारा स्थानान्तरित कार्मिक				
1	अधिशासी निदेशक	डॉ0 पीयूष रौतेला	संविदा के आधार पर तैनात डी0एम0एम0सी0 से यू0एस0डी0एम0ए0 में स्थानान्तरित तथा	शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर
2	कनिष्ठ कार्यकारी	श्री राहुल जुगरान		
3	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1. श्री गोविन्द रौतेला 2. श्री मोहन राठौर	नियमित कार्मिक (डी0एम0एम0सी0 से यू0एस0डी0एम0ए0 में स्थानान्तरित)	लेवल–6 लेवल–6
4	तकनीकी सहायक	श्री घनश्याम टम्टा		लेवल–3

उपरोक्त नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ भी देय है। सम्बन्धित कर्मचारियों की उपस्थिति प्रमाणित होने के पश्चात कोषागार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–11

11– सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–6, लेखाशीर्षक 2245, 4250 एवं 4059 के अंतर्गत करायी गई बजट व्यवस्था तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु बजट प्राविधान का विवरण :–

क्र. सं.	मद का नाम	बजट व्यवस्था (रू.लाख में) 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु धनराशि (रू.लाख में)
	राज्य सेक्टर		
1	02–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	1019.52	1016.53
2	**04**–दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास–42–अन्य विभागीय व्यय	2500.00	2000.00
3	05–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन	489.01	367.01
4	07–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	543.03	428.03
5	08–वरूणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य–42–अन्य विभागीय व्यय	1	1
6	09–पं0 दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रम–42–अन्य विभागीय व्यय	500.00	100.00
7	10–राज्य राहत निधि–42–अन्य विभागीय व्यय	300.00	100.00
8	11–आपदा न्यूनीकरण निधि–42–अन्य विभागीय व्यय	1600.00	1300.00
9	13–उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र	168.04	1340.00
10	14–जोशीमठ एवं अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रबन्धन–42–अन्य विभागीय व्यय	–	10000.00
11	4059–15–जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण–53–वृहद निर्माण	2600.00	2600.00
12	4250–02–वरूणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य–53–वृहद निर्माण	300.00	100.00
13	4250–04–जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण–53–वृहद निर्माण	40.00	10.00
14	4250–05–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–53–वृहद निर्माण	1	1
	केन्द्रीय सहायतित		
15	02–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय	100965.33	91840.00
16	797–03–एस.डी.एम.एफ. से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय	29146.67	22960.00

17	4250–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0102–जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू–धसांव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य–42–अन्य विभागीय व्यय	–	90000.00
18	0106–भारत सरकार द्वारा सहायतित आपदा प्रबन्धन विषयक विभिन्न योजनायें–42–अन्य विभागीय व्यय	300.00	300.00
19	**4250–0101**–वरूणावत पर्वत स्थिरीकरण (100% के0स0) (पूंजीगत)	1	1
20	**0102**–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	1000.00	1
21	**0103**–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत ऊर्जा सेक्टर हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	100.00	1
22	**0104**–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	1	1
23	0106–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	250.00	60.00
24	0107–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत सिंचाई हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	1	1
25	0108–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	200.00	1
26	0109–एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत शेल्टर–सह–गोदाम निर्माण हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	200.00	1
27	0110–एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु अनुदान–56–सहायक अनुदान	1	1
	97–बाह्य सहायतित योजनायें (राजस्व/पूंजीगत मद)		
28	2245–80–102–9706–तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास (विश्व बैंक प्रोजेक्ट ए एफ)–42–अन्य विभागीय व्यय **(राजस्व मद)**	1500.00	500.00
29	4059–60–051–9706–तकनीकी सहायता एवं क्षमता विकास (विश्व बैंक प्रोजेक्ट ए एफ)–53–वृहद निर्माण **(पूंजीगत मद)**	21000.00	5500.00
30	4059–60–051–9710–विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रीन रेजिलेण्ट इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (UGRIDP)–53–वृहद निर्माण **(पूंजीगत मद)**	–	10000.00
31	2245–05–0101–9701–विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रीन रेजिलेण्ट इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (UGRIDP)–42–अन्य विभागीय व्यय **(राजस्व मद)**	–	1000.00
	कुल योग	**164721.70**	**241521.67**

****

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

एस.पी.ए.–आर (आपदा 2013)/वाह्य सहायतित परियोजनायें

एस.पी.ए.–आर (आपदा 2013) के अंतर्गत विभिन्न विभागों यथा–सड़क एवं सेतु, ऊर्जा सेक्टर, कृषि एवं सम्बद्ध सेवा, शेल्टर–सह–गोदाम निर्माण एवं पर्यटन क्षेत्र को **वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 724.16 करोड़** की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में विश्व बैंक सहायतित परियोजना, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट .ए0एफ0 के अन्तर्गत राजस्व मद में **रू 15 करोड़** एवं पूंजीगत मद में **रू 210 करोड़ सहित कुल 225 करोड़** की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) में आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग–02 में संचालित राज्य सेक्टर/केन्द्र पोषित/बाह्य सहायतित योजनाओं का वित्तीय प्रगति विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	अनुभाग/योजना का नाम	राज्य सेक्टर			केन्द्र पोषित			बाह्य सहायतित			कुल योग		
		बजट प्राविधान	स्वीकृति	व्यय	बजट	स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	स्वीकृति	व्यय	कुल बजट	कुल स्वीकृति	कुल व्यय
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	राज्य सेक्टर										2500.00	904.06	0.00
1	दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुर्नवास	2500.00	904.06	0.00							2500.00	904.06	0.00
	योग	2500.00	904.06	0.00									
02	केन्द्रपोषित योजना										1000.00	429.16	175.673
1	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु अनुदान				1000.00	429.16	175.673				100.00	0.00	0.00
2	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) ऊर्जा सेक्टर हेतु अनुदान				100.00	0.00	0.00				00.01	0.00	0.00
3	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान				00.01	0.00	0.00				250.00	250.00	250.00
4	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) तकनीकी शिक्षा हेतु अनुदान				250.00	250.00	250.00				00.01	0.00	0.00
5	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) सिंचाई हेतु अनुदान				00.01	0.00	0.00				200.00	45.00	45.00
6	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान				200.00	45.00	45.00				200.00	0.00	0.00
7	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) शेल्टर सह गोदाम निर्माण हेतु अनुदान				200.00	0.00	0.00				00.01	00.00	0.00
8	एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु अनुदान				00.01	00.00	0.00				1750.03	724.16	470.673
	योग				1750.03	724.16	470.673						
03	बाह्य सहायतित योजनायें (UDRP-AF)												
1	राजस्व मद							1500	1300	0.00			
2	पूँजीगत मद							21000	18700	0.00			
	योग							22500	20000	0.00			

26/04/23
(Poonam Joshi Behera)
Section Officer

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामों का पुनर्वास

आपदाओं के निरन्तरता में घटित होने के कारण राज्य के कई गॉव/तोक मानव निवास हेतु असुरक्षित हो गये हैं, जिसकी पुष्टि हेतु भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग व अन्य के द्वारा किये गये अध्ययनों के माध्यम की जाती है। वर्ष 2015 के सर्वेक्षण में राज्य में आपदा से प्रभावित कुल 395 ग्रामों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है और चिन्हित ग्रामों में से प्राथमिकता के आधार पर लगभग 225 ग्रामों को भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण हेतु चिन्हित किया गया, जिनका सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2015 के उपरान्त वर्तमान तक सम्बन्धित कतिपय जनपदों में उत्पन्न प्राकृतिक आपदा/भूस्खलन आदि के कारण उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा भूसर्वेक्षण के उपरान्त पुनर्वास प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किये गये।

राज्य में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु गतिमान पुनर्वास नीति, 2011(यथा संशोधित 2017) के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य में नवीन पुनर्वास नीति, 2021 का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत आपदा से प्रभावित ग्रामों/परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन के लिये भवन निर्माण हेतु रू0 4.00 लाख, प्रभावित परिवारों को कृषि भूमि के स्थान पर बंजर भूमि के सुधार हेतु रु0 15.00 हजार, गोशाला निर्माण हेतु रु0 15.00 हजार, विस्थापन भत्ते के रूप में रु0 10.00 हजार एवं स्वयं के व्यवसाय करने हेतु रु0 25.00 हजार प्रति परिवार देय है।

राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास नीति, 2011 एवं समय–समय पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु निर्गत दिशा निर्देशानुसार प्रभावित ग्रामों की अत्यधिक संवेदनशील, अति संवेदनशील एवं संवेदनशील श्रेणियां निर्धारित की गई है तथा प्रथम चरण में अत्यधिक संवेदनशील ग्रामों एवं जहॉ आसन्न खतरे की स्थिति है, को पुनर्वासित किया जाता है। इस प्रकार, राज्य गठन से लेकर वर्तमान समय तक कुल 85 ग्रामों के कुल 1483 परिवारों के पुनर्वास हेतु कुल रू0 62,55,35,016/–(रु0 बासठ करोड़ पचपन लाख पैंतीस हजार सोलह मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

राज्य गठन से वर्तमान तक विस्थापित/पुनर्वासित परिवारों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2012 से वर्तमान तक आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन का विवरण

(1) पुनर्वास नीति, 2011 के पश्चात् वर्ष 2012 एवं वर्ष 2015 में निम्नलिखित ग्रामों का विस्थापन/पुनर्वास किया गया है।

क्र0 स0	जनपद	ग्राम/तोक का नाम	परिवारों की संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	रूद्रप्रयाग	छांतीखाल	04	शासनादेश सं0– 151, दिनांक–11.5.2012	13,00,000 /–
2	चमोली	फरकण्डे का जागडी तोक	07	शासनादेश सं0– 770, दिनांक– 16.3.2015	24,50,000/–
	कुल योग	02	11		रू0 37,50,000/– (रू0 सैतीस लाख पचास हजार)

(2) पुनर्वास नीति, 2011 के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

क्र0 स0	जनपद	तहसील	ग्राम/तोक का नाम	परिवारों संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	बागेश्वर	कपकोट	दोबाड़, बडेत, सेरी	28	शासनादेश सं0– 50, दिनांक 31.7.2017	रू0 91,00,000/–
2	चमोली	घाट	कनोल के सीमार फाकी एवं लोध तोक	60	शासनादेशसं0– 128, दिनांक 02.9.2017	रू0 1,95,00,000/–
3	टिहरी गढवाल	प्रतापनगर	भेलुन्ता छेरदानू	26	शासनादेशसं0– 164, दिनांक 27.12.2017	रू0 1,10,50,000/–
4	चमोली	थराली	छपाली	07	शासनादेश सं0– 44, दिनांक 28.3.2018	रू0 29,75,000/–
5	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	सेमीतल्ली, कुणजेठी, जालतल्ला, कविल्ठा, एवं पांजणा	56	शासनादेश सं0– 42, दिनांक 28.3.2018	रू0 2,37,70,000/–
	कुल योग	05	12	177		रू0 6,63,95000/– (रु0 छः करोड तिरेसठ लाख पिच्चानब्बे हजार)

(3) पुनर्वास नीति, 2011 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित ग्रामो का विस्थापन/पुनर्वास किया गया हैं।

क्र0 स0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	परिवारों संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	चमोली	चमोली	त्यूला	21	शासनादेश सं0– 63, दिनांक 07.5.2018	रू0 89,25,000/–
2	बागेश्वर	कपकोट	कुँवारी	18	शासनादेश सं0– 97, दिनांक 30.7.2018	रू0 76,50,000/–
3	चमोली	चमोली	बौला	06	शासनादेश सं0–114, दिनांक 06.8.2018	रू0 26,75,000/–
4	चमोली	थराली	भ्याडी	48	शासनादेश सं0– 98, दिनांक 30.7.2018	रू0 2,04,00,000/–
5	टिहरी	देवप्रयाग	त्यालनी तोक	20	शासनादेश सं0– 143,	रु0 85,00,000/–

			खलूडा		दिनांक 4.9.2018	
6	चमोली	घाट	सरपाणी	38	शासनादेश सं0– 276, दिनांक 31.12.2018	रु0 1,65,75,000/–
	कुल योग	06	06	151		रू0 6,47,25,000/– (रु0 छः करोड़ सैतालीस लाख पच्चीस हजार)

(4) पुनर्वास नीति, 2011 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

क0 स0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	परिवारों संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	पिथौरागढ	धारचूला	कनार तोक टोयला	05	शासनादेश सं0–154 दिनांक 31.5.2019	रु0 21,25,000/–
2	टिहरी	बालगंगा	अगुण्डा	99	शासनादेश सं0–157 दिनांक 31.5.2019	रु0 4,20,75,000/–
3	टिहरी	घनसाली	इन्द्रौला	166	शासनादेश सं0– 156 दिनांक 31.5.2019	रु0 7,05,50,000/–
4	पिथौरागढ़	धारचूला	तांकुल तोक मांगती	16	शासनादेश सं0–308, दिनांक 27 अगस्त, 2019	रु0 1,38,63,000/–
5	बागेश्वर	कपकोट	फुलई	05	शासनादेश सं0–309,दिनांक 27 अगस्त, 2019	रु0 20,95,000/–
6	चमोली	पोखरी	गोंदीगिवाला	04	शासनादेश सं0–461, दिनांक 22.10.2019	रु0 18,00,000/–
7	चमोली	थराली	कुलिंग	65	शासनादेश सं0–136, दिनांक 13.03.2020	रु0 2,76,25,000/–
	कुल योग	07	07	360		रु0 16,01,33,000/– (रु0 सोलह करोड़ एक लाख तैतीस हजार मात्र)

(5) पुनर्वास नीति, 2011 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	टिहरी गढ़वाल	घनसाली	इन्द्रौला–2	54	शासनादेश सं0–182 दिनांक 11.06.2020	रू0 2,29,50,000/–
2	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भटवाड़ी	49	शासनादेश संख्या–183 दिनांक 12.06.2020	रू0 2,30,39,916/–
3	टिहरी	बालगंगा	कोट	34	शासनादेश संख्या–221 दिनांक 28.07.2020	रू0 1,44,50,000/–
4	चमोली	घाट	जाखणी डांग तोक	02	शासनादेश संख्या–339 दिनांक 20.10.2020	रु0 8,50,000/–
5	नैनीताल	भीमताल	कुरपाखा	01	शासनादेश संख्या–340 दिनांक 20.10.2020	रु0 4,10,000/–

6	चमोली	चमोली	रोपा	03	शासनादेश संख्या–178 दिनांक 08.03.2021	रु0 12,30,000/–
7	बागेश्वर	कपकोट	मल्लादेश	04	शासनादेश संख्या–177 दिनांक 08.03.2021	रु0 17,00,000/–
8	उत्तरकाशी	डुण्डा	अस्तल	30	शासनादेश संख्या–175 दिनांक 08.03.2021	रु0 1,25,10,000/–
9	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड	कान्सी	12	शासनादेश संख्या–187 दिनांक 08.03.2021	रु0 49,20,000/–
10	टिहरी गढवाल	प्रतापनगर	बैथाण नामें तोक	04	शासनादेश संख्या–182 दिनांक 08.03.2021	रु0 17,00,000/–
11	पिथौरागढ़	धारचूला	छिलमाछिलासो के तोक मल्लीघर, तल्लीघर व छेलदांग	52	शासनादेश संख्या–191 दिनांक 23.03.2021	रू0 2,63,61,000/–
12	चमोली	थराली	फल्दियागांव	12	शासनादेश संख्या–169 दिनांक 26.03.2021	रू0 51,00,000/–
13	चमोली	गैरसैण	सनेड लगा जिनगोडा	01	शासनादेश संख्या–170 दिनांक 26.03.2021	रू0 4,50,000/–
	कुल योग	**13**	**13**	**258**		**रू0 11,56,70,916/–** (रु0 ग्यारह करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार नौ सौ सोलह मात्र)

(6) पुनर्वास नीति, 2011 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	रैलाकोट	04	शासनादेश सं0– 326 दिनांक 31.05.2021	रू0 16,40,000/–
2	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड	बड़ेथी	94	शासनादेश सं0– 305 दिनांक 31.05.2021	रु0 3,13,40,000/–
3	पिथौरागढ़	धारचूला	हिमखोला के तोक चरप्याकांग	31	शासनादेश सं0– 381 दिनांक 31.05.2021	रु0 1,27,10,000/–
4	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	कुलथम	15	शासनादेश सं0– 409 दिनांक 14.06.2021	रू0 63,75,000/–
5	बागेश्वर	काण्डा	सेरी	04	शासनादेश सं0– 483, दिनांक 07.07.2021	रू0 17,00,000/–
6	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	सेनर	20	शासनादेश सं0– 484, दिनांक 07.07.2021	रू0 85,00,000/–
7	पिथौरागढ़	धारचूला	कनार तोक जिमतड़ा	07	शासनादेश सं0– 485, दिनांक 07.07.2021	रू0 29,75,000/–
8	पिथौरागढ़	धारचूला	राथी तोक तांथर	01	शासनादेश सं0– 456, दिनांक 28.07.2021	रू0 4,25,000/–
9	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	कोटयूडा	01	शासनादेश सं0– 461, दिनांक 28.07.2021	रू0 4,25,000/–

10	पिथौरागढ़	बंगापानी	बता के तोक फगुवाबगड़	01	शासनादेश सं0– 459, दिनांक 03.08.2021	रू0 4,25,000/–
11	पिथौरागढ़	बंगापानी	छोरीबगड़	06	शासनादेश सं0– 474, दिनांक 03.08.2021	रू0 25,20,000/–
12	पिथौरागढ़	डीडीहाट	सिलोनी	03	शासनादेश सं0– 468, दिनांक 03.08.2021	रू0 12,75,000/–
13	पिथौरागढ़	तेजम	तल्ला भैंसकोट	03	शासनादेश सं0– 475, दिनांक 03.08.2021	रू0 12,75,000/–
14	पिथौरागढ़	बंगापानी	गैला मल्ला (पत्थर कोट)	03	शासनादेश सं0– 471, दिनांक 03.08.2021	रू0 12,45,000/–
15	पिथौरागढ़	धारचूला	जिप्ती तोक रक्षाताल	05	शासनादेश सं0– 457, दिनांक 03.08.2021	रू0 21,25,000/–
16	पिथौरागढ़	धारचूला	जम्कू तोक बॉस	04	शासनादेश सं0– 462, दिनांक 03.08.2021	रू0 17,00,000/–
17	पिथौरागढ़	बंगापानी	मेतली तोक चामी	02	शासनादेश सं0– 476, दिनांक 03.08.2021	रू0 8,50,000/–
18	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	जोशा	27	शासनादेश सं0– 466, दिनांक 03.08.2021	रू0 1,14,75,000/–
19	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	धापा	54	शासनादेश सं0– 467, दिनांक 03.08.2021	रू0 2,29,50,000/–
20	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	मालूपाती	11	शासनादेश सं0– 472, दिनांक 03.08.2021	रू0 46,75,000/–
21	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	बमनगांव खालसा	05	शासनादेश सं0– 465, दिनांक 03.08.2021	रू0 21,25,000/–
22	पिथौरागढ़	धारचूला	धारपांगू (तन्तागांवरौतो)	09	शासनादेश सं0– 458, दिनांक 03.08.2021	रू0 37,80,000/–
23	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	तोमिक तोक झापुली	04	शासनादेश सं0– 460, दिनांक 03.08.2021	रू0 17,00,000/–
24	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	सेरासुरईधार	03	शासनादेश सं0– 426, दिनांक 03.08.2021	रू0 12,75,000/–
25	पिथौरागढ़	तेजम	लोदी के लोदीबगड़	07	शासनादेश सं0– 470, दिनांक 03.08.2021	रू0 29,45,000/–
26	पिथौरागढ़	बंगापानी	कौली कन्याल तोक हुड़की	04	शासनादेश सं0– 463, दिनांक 03.08.2021	रू0 17,00,000/–
27	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	गुंठी	03	शासनादेश सं0– 464, दिनांक 03.08.2021	रू0 12,75,000/–
28	पिथौरागढ़	डीडीहाट	आकोट	01	शासनादेश सं0– 469, दिनांक 03.08.2021	रू0 4,25,000/–
29	पिथौरागढ़	बंगापानी	उमडाडा	01	शासनादेश सं0– 473, दिनांक 03.08.2021	रू0 4,25,000/–
30	रूद्रप्रयाग	जखोली	सिरवाड़ी	01	शासनादेश सं0– 490, दिनांक 03.08.2021	रू0 4,25,000/–
31	रूद्रप्रयाग	जखोली	पांजणा–2	02	शासनादेश सं0– 425, दिनांक 03.08.2021	रू0 8,50,000/–
32	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	धारतोन्दला	01	शासनादेश सं0– 512, दिनांक 09.08.2021	रू0 4,25,000/–
33	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	उषाड़ा	72	शासनादेश सं0– 527, दिनांक 09.08.2021	रू0 3,07,35,000/–

34	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	भैंसियाछाना के तोक खैरखेत	04	शासनादेश सं0– 515, दिनांक 09.08.2021	रू0 16,40,000/–
35	बागेश्वर	गरूड़	जाख	02	शासनादेश सं0– 528, दिनांक 11.08.2021	रू0 8,50,000/–
36	टिहरी गढ़वाल	टिहरी	पनैथ	21	शासनादेश सं0– 556, दिनांक 07.09.2021	रू0 89,31,100/–
37	उत्तरकाशी	बड़कोट	कफनौल	20	शासनादेश सं0– 626, दिनांक 10.09.2021	रू0 90,00,000/–
38	चमोली	घाट	धरगांव लग्गा उस्तोली	02	शासनादेश सं0– 537, दिनांक 27.09.2021	रू0 8,50,000/–
39	बागेश्वर	कपकोट	बदियाकोट के तोक घुरघुटी	07	शासनादेश सं0– 555, दिनांक 27.09.2021	रू0 29,75,000/–
40	चमोली	घाट	स्यारी बंगाली	03	शासनादेश सं0– 657, दिनांक 27.09.2021	रू0 12,75,000/–
41	पिथौरागढ़	डीडीहाट	न्वाली	04	शासनादेश सं0– 539, दिनांक 27.09.2021	रू0 17,00,000/–
42	टिहरी गढ़वाल	प्रतापनगर	हलेथगांव	05	शासनादेश सं0– 655, दिनांक 27.09.2021	रू0 21,25,000/–
43	पिथौरागढ़	धारचूला	गर्गुवा तोक स्यांरी	13	शासनादेश सं0– 727, दिनांक 04.10.2021	रू0 55,25,000/–
44	चमोली	घाट	सरपाणी–2	25	शासनादेश सं0– 900, दिनांक 07.01.2022	रू0 1,06,25,000/–
45	टिहरी गढ़वाल	नरेन्द्रनगर	डौर	11	शासनादेश सं0–211, दिनांक 23.3.2022	रू0 46,75,000/–
कुल योग			45	526		रू0 21,48,61,100/– (रू0 इक्कीस करोड़ अड़तालीस लाख इकसठ हजार मात्र)

(7) नवीन पुनर्वास नीति, 2021 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास/विस्थापन किया गया है।

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	शासनादेश संख्या एवं तिथि	पुनर्वास हेतु धनराशि निर्गत
1	पिथौरागढ़	बेरीनाग	सनीखेत	08	शा0सं0– 44175/2022, दिनांक 22.6.2022	रू0 34,00,000/–
2	पिथौरागढ़	बंगापानी	धामीगांव (भ्यूला)	03	शा0सं0– 44176/2022, दिनांक 22.6.2022	रू0 12,75,000/–
3	चमोली	थराली	झलिया	02	शा0सं0–44177/2022 दिनांक 22.6.2022	रू0 8,50,000/–
04	चम्पावत	बाराकोट	भारतोली	08	शा0सं0–91296/2023 दिनांक 16.01.2023	रू0 34,00,000/–
05	चमोली	जोशीमठ	उर्गम के तल्ला बडगिण्डा	41	शा0सं0–90917/2023 दिनांक 13.01.2023	1,84,00,000/–

06	चमोली	घाट	धुर्मा	05	शा0सं0–90564 / 2023 दिनांक 12.01.2023	21,25000 / –
07	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	ओंकारेश्वर वार्ड–3	01	शा0सं0–90919 / 2023 दिनांक 13.01.2023	4,10,000 / –
08	रूदप्रयाग	ऊखीमठ	गिरिया	01	शा0सं0–90639 / 2023 दिनांक 13.01.2023	4,25,000 / –
09	टिहरी	नरेन्द्रनगर	डौर	02	शा0सं0–90565 / 2023 दिनांक 12.01.2023	8,50,000 / –
10	देहरादून	देहरादून	भैसवाड़, छमरौली व सरखेत	13	शा0सं0–92639 / 2023 दिनांक 20.01.2023	55,25000 / –
11	टिहरी	धनोल्टी	धौलागिरी (सीतापुर)	02	शा0सं0–95897 / 2023 दिनांक 03.02.2023	6,46,200 / –
12	पिथौरागढ़	धारचूला	रांथी तोक खोतिला	15	शा0सं0–100214 / 2023 दिनांक 17.02.2023	54,87,651 / –
13	नैनीताल	नैनीताल	बोहराकोट	08	शा0सं0–100216 / 2023 दिनांक 17.02.2023	32,80,000 / –
14	टिहरी	धनोल्टी	तौल्याकाटल मध्ये चिफल्टी ग्वालीडाडा	02	शा0सं0–100745 / 2023 दिनांक 21.02.2023	6,97,150 / –
15	उत्तरकाशी	जोशियाड़ा	माण्डों	02	शा0सं0–100746 / 2023 दिनांक 21.02.2023	8,50,000 / –
16	पिथौरागढ़	बंगापानी	मेतली तोक तल्ला देवलेख	13	शा0सं0–100329 / 2023 दिनांक 21.02.2023	55,25,000 / –
17	पिथौरागढ़	बंगापानी	बंगापनी तोक तल्ला मोरी	17	शा0सं0–100744 / 2023 दिनांक 21.02.2023	72,25,000 / –
18	पिथौरागढ़	डीडीहाट	खेतार कन्याल	02	शा0सं0–100742 / 2023 दिनांक 21.02.2023	8,50,000 / –
19	पिथौरागढ़	बंगापानी	टॉगा	05	शा0सं0–100215 / 2023 दिनांक 21.02.2023	20,80,000 / –
20	पिथौरागढ़	बंगापानी	खड़तोली	01	शा0सं0–100743 / 2023 दिनांक 23.02.2023	4,25,000 / –
21	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	सेमीतल्ली	07	शा0सं0–101641 / 2023 दिनांक 23.02.2023	28,70,000 / –
22	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	दैड़ा पापड़ी	03	शा0सं0–101642 / 2023 दिनांक 23.02.2023	12,75000 / –
23	रूद्रप्रयाग	बसुकेदार	नागजगई	07	शा0सं0–100741 / 2023 दिनांक 23.02.2023	29,75,000 / –
24	उत्तरकाशी	उप तहसली जोशियाड़ा	बग्यालगांव	01	शा0सं0–100739 / 2023 दिनांक 23.02.2023	4,25000 / –
25	उत्तरकाशी	उप तहसली जोशियाड़ा	थलन / मंगलपुर	02	शा0सं0–100740 / 2023 दिनांक 23.02.2023	8,50,000 / –
26	टिहरी	धनोल्टी	कोकलियालगांव	01	शा0सं0–101638 / 2023 दिनांक 23.02.2023	4,25,000 / –
27	पिथौरागढ़	धारचूला	जम्कू तोक बोयापानी	04	शा0सं0–109152 / 2023 दिनांक 25.03.2023	17,00,000 / –
28	चम्पावत	बाराकोट	गल्लागॉव	08	शा0सं0–109222 / 2023 दिनांक 25.03.2023	33,55,000 / –
29	चमोली	घाट	मोखतल्ला	02	शा0सं0–109148 / 2023 दिनांक 25.03.2023	9,00,000– /

30			भेटी	01	शा0सं0–109151 / 2023 दिनांक 25.03.2023	4,25,000 / –
31	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	क्यूंजा	06	शा0सं0–109150 / 2023 दिनांक 25.03.2023	25,50,000 / –
32		रूद्रप्रयाग	झालीमठ	13	शा0सं0–109153 / 2023 दिनांक 25.03.2023	55,75,000 / –
			32	216		8,70,51,001

8) नवीन पुनर्वास नीति, 2021 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित ग्रामों का पुनर्वास / विस्थापन किया गया है।

01	उत्तरकाशी	डुण्डा	छमरौली	05	शा0सं0–121707 / 2023 दिनांक 15.05.2023	21,25,000 / –
02	नैनीताल	कोश्याकुटौली	छड़ा तोक के खैरना	03	शा0सं0–121711 / 2023 दिनांक 16.05.2023	8,05000 / –
03	पिथौरागढ़	बंगापानी	जराजिबली तोक बननी	01	शा0सं0–122332 / 2023 दिनांक 18.05.2023	4,25,000 / –
04	बागेश्वर	कपकोट	बड़ेत के तोक खारबगड़	01	शा0सं0–125896 / 2023 दिनांक 31.05.2023	4,25000 / –
	मई, 2023 / योग		04	10		37,80,000 / –
05	चम्पावत	चम्पावत	कोट अमोड़ी	03	शा0सं0–132610 / 2023 दिनांक 26.06.2023	12,75,000 /
06	चमोली	चमोली	भद्राकोटी के कमलपुर तोक	03	शा0सं0–132604 / 2023 दिनांक 26.06.2023	12,75,000 /
07	टिहरी गढ़वाल	प्रतापनगर	सिलारी / भैड़ नामे तोक	01	शा0सं0–132602 / 2023 दिनांक 26.06.2023	4,25,000 /
08	टिहरी गढ़वाल	प्रतापनगर	बैथाण	04	शा0सं0–132802 / 2023 दिनांक 26.06.2023	17,00,000 /
09	रूद्रप्रयाग	जखोली	घरड़ा	02	1.शा0सं0–133297 / 2023 दिनांक 26.06.2023 2.शा0सं0–134273 / 2023 दिनांक 07.07.2023	8,50,000 / –
10		जखोली	लुठियाग	01	शा0सं0–132778 / 2023 दिनांक 27.06.2023	4,25000 /
11		ऊखीमठ	दैड़ा पापड़ी	02	शा0सं0–132776 / 2023 दिनांक 27.06.2023	8,50,000 /
12	पिथौरागढ़	बंगापानी	मवानी दवानी (घरूड़ी)	06	शा0सं0–132603 / 2023 दिनांक 27.06.2023	25,50,000 /
13	उत्तरकाशी	जोशीयाड़ा	कंकराड़ी	03	शा0सं0–133026 / 2023 दिनांक 27.06.2023	12,75,000 /
जून, 2023 / योग			09	25		1,06,25000 / –
14	बागेश्वर	कपकोट	कुँवारीगॉव	54	शा0सं0–133298 / 2023 दिनांक 03.07.2023	2,21,70,000 / –
15	टिहरी	कीर्तिनगर	कोठार (गोदी)	03	शा0सं0–133878 / 2023 दिनांक 03.07.2023	10,66000 / –
16	चमोली	घाट	सरपाणी	01	शा0सं0–134179 / 2023 दिनांक 05.07.2023	4,25,000 / –
17		धारचूला	जुम्मा तोक	07	शा0सं0–136529 / 2023	34,75000 / –

	पिथौरागढ़		जामुनी		दिनांक 11.07.2023	
18		तेजम	कोटयूड़ा	04	शा0सं0–136531 / 2023 दिनांक 11.07.2023	17,00000 / –
19			गिरगॉव	03	शा0सं0–136831 / 2023 दिनांक 11.07.2023	10,71,200 / –
20			मगरगॉव	02	शा0सं0–136533 / 2023 दिनांक 11.07.2023	12,75,000 / –
21			भण्डारीगॉव	08	शा0सं0–136871 / 2023 दिनांक 12.07.2023	33,70,000 / –
22		तेजम	गटघोरगाड़ी	01	शा0सं0–137513 / 2023 दिनांक 13.07.2023	4,25000 / –
23		तेजम	खेताली	03	शा0सं0–137504 / 2023 दिनांक 13.07.2023	1275000 / –
24	रूद्रप्रयाग	जखोली	पांजणा	02	शा0सं0–137501 / 2023 दिनांक 13.07.2023	8,35000 / –
25	चमोली	थराली	पैनगढ़	23	शा0सं0–137511 / 2023 दिनांक 13.07.2023	97,75000 / –
जुलाई, 2023 / योग			12	111		4,68,62,200 / –
कुल महायोग			25	146		6,12,67,200 /

(1) <u>नोट–</u> वित्तीय वर्ष 2023–24 में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल बजट प्राविधान रु0 20,0000,000 (रूपये बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वर्तमान तक 25 ग्रामों के कुल 146 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल रू0 6,12,67,200/– (रु0 छः करोड़ बारह लाख सड़सट हजार दौ सौ मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है। तथा वर्तमान में रू0 13,87,32,800/–(रू0 तेरह करोड़ सत्तासी लाख बत्तीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि अवशेष है।

(2) <u>वर्ष 2012 से वर्तमान में दिनांक 13.07.2023 तक आपदा प्रभावित परिवारों के कुल ग्रामों/परिवारों का पुनर्वास–</u>

कुल ग्राम	कुल परिवार	धनराशि
141	1835	रू0 77,38,53,217/– (रु0 सत्तर करोड़ अड़तीस लाख तिरेपन हजार दो सौ सत्तराह मात्र)

/138796/2023 16(1) /2007

E-office-58130

उत्तराखण्ड शासन

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग–2

फाईल संख्याः-1371/XVIII(2)/2015-16(1)/2007

देहरादूनःदिनांक 20 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापन/पुनर्वास हेतु जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु शासनादेश सं0–53/XVIII(2)/2015-16(1)/2007, दिनांक 03.07.2017 द्वारा सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति गठित की गयी है।

2– संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शीघ्रता से विस्थापन/पुनर्वास किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन निम्न प्रकार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	अपर जिलाधिकारी	सदस्य
3–	सम्बन्धित ग्राम क्षेत्र का उप जिलाधिकारी	सदस्य
4–	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	सदस्य
5–	भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	सदस्य
6–	जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी अभियन्त्रण विभाग का एक सहायक अभियन्ता	सदस्य

3– उपरोक्त जनपद स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा शासनादेश सं0–886/XVIII(B2)/21-16(1)पुनर्वास नीति/2007 दिनांक 31.12.2021 के द्वारा प्रख्यापित पुनर्वास नीति, 2021 में किये गये प्राविधानों के अनुसार स्थलीय निरीक्षण तथा अन्य सभी प्रकार की औपचारिकताऐं पूर्ण करवाते हुये प्रस्ताव का परीक्षण कर संकटग्रस्त विभिन्न ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास/विस्थापन के सम्बन्ध में विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया जायेगा। जनपद स्तरीय समिति के निर्णयों से समय–समय पर आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

4– शासन स्तर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ग्रामों/परिवारों के विस्थापन हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि अग्रिम के रूप में जिलाधिकारियों को आंवटित की जायेगी।

5– यदि पुनर्वास नीति, 2021 के प्राविधानों के आलोक में किसी आपदा से संकटग्रस्त ग्राम/परिवार के विस्थापन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय पुनर्वास समिति को कोई कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा किसी बिन्दु विशेष पर शासन के अभिमत की आवश्यकता होती है, तो ऐसे प्रकरण जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित किये जायेगें, जिनको सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

6– समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपद में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील एवं अति संवेदनशील ग्रामों/परिवारों का चिन्हिकरण प्राथमिकता के आधार पर करते हुये उनका विस्थापन किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास नीति, 2021 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Ranjit Kumar Sinha
Date: 18-07-2023 18:29:43

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

16(1)punarwasneeti/2007

/138796/2023 संख्या–137796/XVIII(2)/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल।

5– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।

8– समस्त जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

9– आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।

10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सविन बंसल)
अपर सचिव।

वर्ष 2022 व 2023 में यू0एस0डी0एम0ए0 द्वारा भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विवरण

पिथौरागढ– जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला शहर में हुए ग्वालगाँव भू–स्खलन का भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण व अध्ययन कर उपचारात्मक उपायों की संस्तुति किये जाने हेतु दिनांक 18–19 अक्टूबर, 2022 को प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य हेतु गठित समिति के द्वारा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया।

माह सितंबर 2021 में हुई अतिवृष्टि के उपरान्त धारचूला शहर का एक भाग भू–स्खलन से प्रभावित हो गया तथा जैसा कि प्रभावित क्षेत्र की Sentine l2A उपग्रहीय चित्रों से स्पष्ट होता है, यह भूस्खलन 2151 वर्ग मीटर (5 जुलाई, 2022) से बढ़कर 11183 वर्ग मीटर (28 सितंबर, 2022) विस्तारित हो गया। विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण के उपरान्त दल के निम्नलिखित उपचारात्मक उपायों की संस्तुति की गई (1) ढ़लान पर स्थित बड़े शिलाखंडों को हटाया जाये, (2) प्रभावित ढलान क्षेत्र से वर्षा का जल के सुरक्षित निस्तारण हेतु Main Escarpment के ऊपर से नालियों की व्यवस्था की जाये (3) साथ ही पानी के रिसाव को नियंत्रित करने, मिट्टी को संरक्षित करने एवं स्थिरता हेतु के दोनों किनारों पर Step drains की व्यवस्था की जाये। (4) Crown के हिस्से में Main Escarpment को तार की जाली, शॉटक्रीट एवं Soil nailing के द्वारा स्थिरता प्रदान की जाये। (5) मल्ली बाजार में ऊपरी सड़क स्तर से निचले सड़क स्तर तक Gabion wall का निर्माण किया जाये तथा ढाल का समतलीकरण किया जाये। (6) ऊपरी सड़क के स्तर पर ऊपर और नीचे की ओर स्थित ढलान के Toe Portion के साथ–साथ आवागमन सुविधा हेतु वांछित (मल्ली बाजार में निचली सड़क) चौड़ाई की सड़क के दृष्टिगत लगभग 6 मीटर ऊंचाई की Concrete Retaining Wall का निर्माण किया जाये।

चित्रः– धारचूला के मल्ली बाजार क्षेत्र में हुए क्षतिग्रस्त भवनों का दृश्य।

नैनीतालः– बचनडुंगा भू–स्खलन, नैनीताल की निगरानी और ढलान अस्थिरता के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों की संस्तुति देने के लिए 20 अक्टूबर, 2022 को प्रभावित क्षेत्र का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया। 18 अक्टूबर 2021 को चोपड़ा गांव में शुरू हुआ यह भू–स्खलन मुख्यतः एक Rock Slide था, जिसमें विशाल Rock Blocks, Debris, Boulder और मिट्टी सम्मिलित थे। उक्त Rock Slide के कारण 150 मीटर की दूरी तक भारी नुकसान हुआ था। विस्तृत विश्लेषण के उपरान्त दल के द्वारा निम्नलिखित उपचारात्मक उपायों की संस्तुति की गई। (1) ढलान पर स्थित बड़े शिलाखंडों को हटाया जाना। (2) Crown के नीचे लगभग 15–20 मीटर की दूरी पर Rock catch Fences की स्थापना की जाये। (3) ढलान के बराबर में Alternate gabion wall का निर्माण करके Rock Fall को रोके जाने के प्रयास किये जायें। (4) वर्षा के जल के सुरक्षित निस्तारण हेतु भू–स्खलन के दोनों तरफ (Flanks) Lined drains का निर्माण किया जाये। (5) भू–स्खल्लन के ढलान वाले स्थान पर कंक्रीट की Retaining Wall का निर्माण किया जाये। (6) Joint/fractured चट्टानों के हिस्सों को Rock Bolting और shotcrete द्वारा Reinforced द्वारा संतुलित करने के प्रयास किये जायें।

चित्रः– बचनदूंगा भू–स्खलन के उपरान्त क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दृश्य।

केदारनाथः– केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्र में निरन्तरता में हो रहे हिम–स्खलन के दृष्टिगत् उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उक्त हेतु गठित समिति के द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 को केदारनाथ क्षेत्र का glaciological, geological व geomorphologic सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में पाया गया है कि हिम–स्खलन की

शुरुआत केदारनाथ मंदिर के 6 कि0मी0 ऊपर Companion ग्लेशियर Accumulation Zone से (4800–5800 m asl.) से हुई थी और इन हिम–स्खलनों के Run-Out और Deposition Zone के केदारनाथ मंदिर से 5 किमी की दूरी पर स्थित होने के दृष्टिगत् समिति का मत था कि हिम–स्खलन से मंदिर को कोई खतरा नहीं है। समिति के अनुसार सितंबर 2022 में उच्च ऊंचाई (Higher Altitude) वाले क्षेत्रों में हुये भारी हिमपात के कारण जिससे केदारनाथ क्षेत्र में हिम–स्खलन की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुयी थी। उपग्रहीय चित्रों के अध्ययन से पता चला कि Companion ग्लेशियर के Accumulation Zone में कई Avalanche Chutes उपस्थित हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह ग्लेशियर मुख्य रूप से हिम–स्खलन द्वारा पोषित हैं।

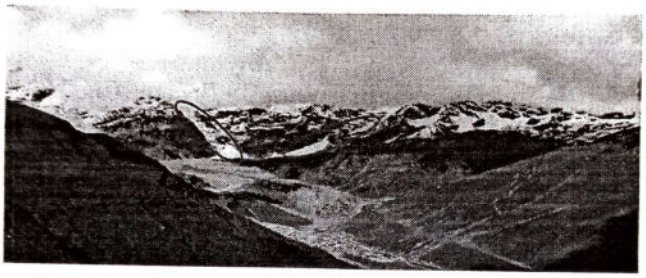

चित्रः– एरियलय सर्वे से हिम–स्खलन प्रवण स्थलों के साथ चोराबाडी और सहयोगी हिमनद के लिये गये चित्र।

चमोली:– जोशीमठ क्षेत्र में हाल ही में भवनों को हुए नुकसान व भू–धंसाव के आंकलन के लिये उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा 5–6 जनवरी, 2023 को फील्ड सर्वे किया गया था। उक्त फील्ड सर्वे में यह देखा गया कि Mud-Sediments से भरा हुआ पानी का Turbid flow (400lpm) इमारतों में बढ़ी हुई दरारों की अधिकता का कारण है। इसके अतिरिक्त विष्णुप्रयाग और मारवाड़ी के बीच (Toe of the left Alaknanda River bank) पर एक सुरक्षा दीवार बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त के दृष्टिगत् पाया गया कि उक्त क्षतिग्रस्त क्षेत्र अब रहने योग्य नहीं है, और स्थानीय नागरिकों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही निम्नलिखित कुछ अध्ययन सुझाए गए हैं:– (1) मिट्टी की Bearing Capacity और Shear Strength का निर्धारण करने के लिए विस्तृत भू–तकनीकी जांच की जानी चाहिए। (2) क्षेत्र के उप–स्तरों को समझने के लिए भू–भौतिकीय जाँच की जानी चाहिए। (3) क्षेत्र में भू–गर्भीय और Development Tremors को समझने के लिए भूकंपीय निगरानी की जानी चाहिए। (4) हाइड्रोलॉजिकल जांच से जल निकासी, स्थानीय झरनों, जल तालिका, स्रोत से उप–सतही प्रवाह आदि का निरीक्षण किया जा सकता है। (5) Real Time और Near

Real Time समय के आधार पर ढलान की गति की निगरानी की जानी चाहिए।

(6) क्षतिग्रस्त भवनों का आंकलन और संभावित Retrofitting की जानी चाहिए।

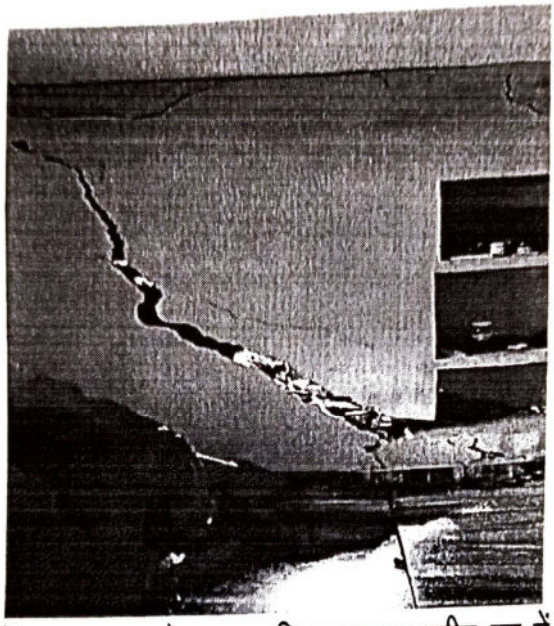

चित्रः– जोशीमठ क्षेत्र में उक्त आपदा के कारण क्षतिग्रस्त एक स्थानीय घर में आयी दरार का चित्र (Sunil ward site)

मसूरी (16 फरवरी, 2023) और कर्णप्रयाग (27 फरवरी, 2023) में भूगर्भीय–भू–तकनीकी फील्डवर्क किया गया है, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट/आख्या का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

आपदा प्रबन्धन विभाग के अंतर्गत रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों से सम्बन्धित कार्य व्यवहृत नहीं होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की वेबसाइट **http://usdma.uk.gov.in** में प्राधिकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त ही गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिये 13 जनपदों को फोन नम्बर 1077 व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को फोन न0 1070 से जोड़ा गया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की वेबसाइट **http://usdma.uk.gov.in** में प्राधिकरण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त एन.आई.सी. के वेबसाइट **http://gov.ua.nic.in/dmmc** पर अधिसूचना में भी महत्वपूर्ण शासनादेशों का विवरण उपलब्ध है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सचिवालय परिसर के अन्तर्गत संचालित है। शीघ्र ही प्राधिकरण के नव निर्मित भवन में शिफ्ट होने की सम्भावना है, जहां पर लाईब्रेरी एवं डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के प्राविधान के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

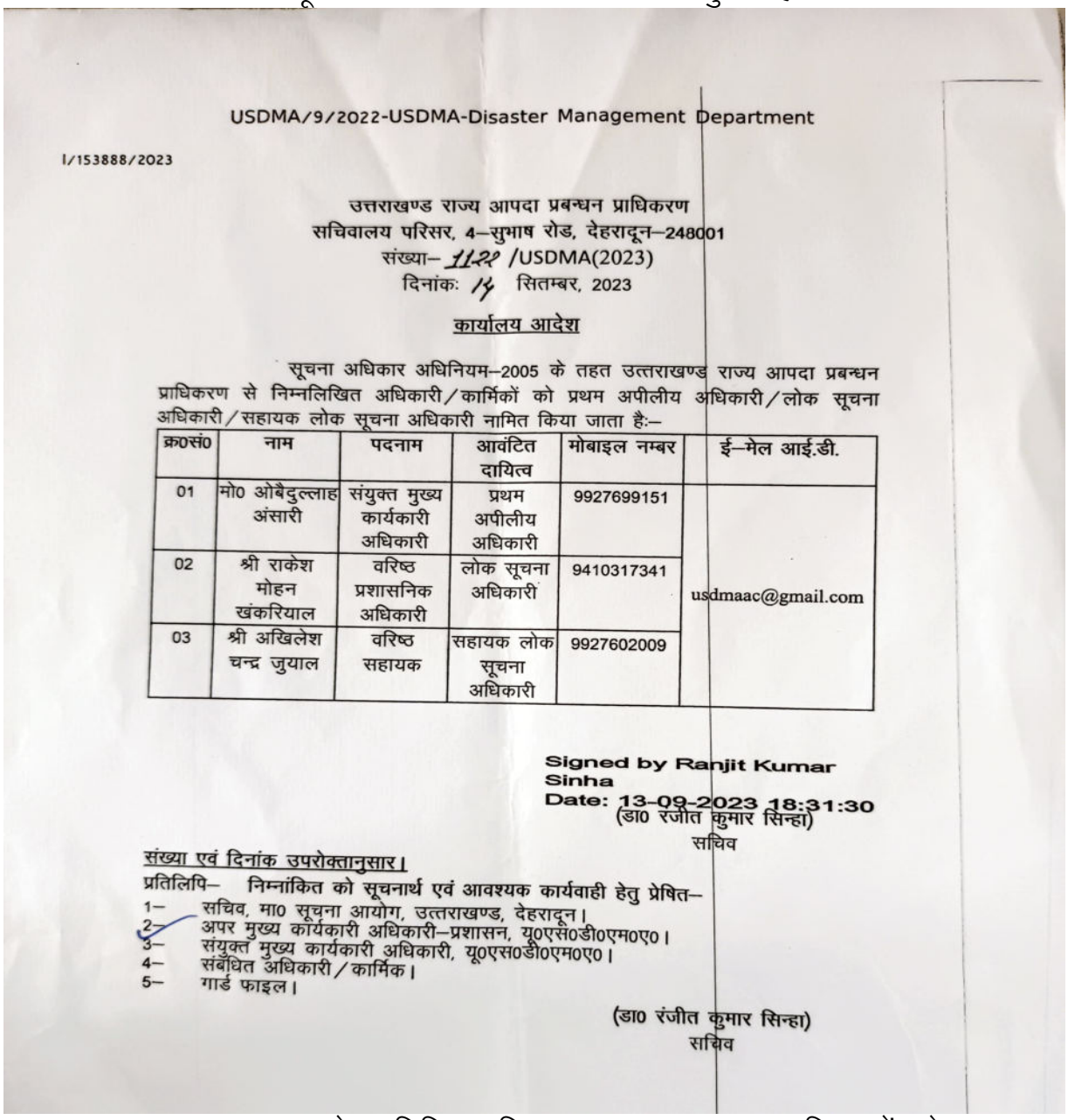

USDMA/9/2022-USDMA-Disaster Management Department

I/153888/2023

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
सचिवालय परिसर, 4–सुभाष रोड, देहरादून–248001
संख्या– 1122 /USDMA(2023)
दिनांकः 14 सितम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से निम्नलिखित अधिकारी/कार्मिकों को प्रथम अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता हैः–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	आवंटित दायित्व	मोबाइल नम्बर	ई–मेल आई.डी.
01	मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	9927699151	usdmaac@gmail.com
02	श्री राकेश मोहन खंकरियाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	9410317341	
03	श्री अखिलेश चन्द्र जुयाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	9927602009	

Signed by Ranjit Kumar Sinha
Date: 13-09-2023 18:31:30
(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1– सचिव, मा0 सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी–प्रशासन, यू0एस0डी0एम0ए0।
3– संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0।
4– संबंधित अधिकारी/कार्मिक।
5– गार्ड फाइल।

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव

उक्त के अतिरिक्त जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों के स्तर पर सम्बन्धित अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या–17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय